97-

[illegible] मण्डल अभिलेखागार

जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :

अंकेक्षण की अवधि :- 4/98 से 3/99.

भाग - I

1. गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :- गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में निम्नलिखित पैरा जो कि निपटाए गए तथा अभी तक भी अनिर्णीत पैरों का विवरण नीचे दिया जाता है। अधिकारिक लम्बी अवधि से अनिर्णीत चले आ रहे पैरों के शीघ्र निपटारे हेतु शीघ्र उचित पग उठाए जाएं तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए :-

(क). अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/85 :-

1. पैरा 4(I) :- अनिर्णीत.

(ख). अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/87 :-

1. पैरा 5(ख) :- अनिर्णीत.

(ग). अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/88 :-

1. पैरा 5(ए)(I) :- अनिर्णीत.
2. पैरा 5(बी) :- अनिर्णीत.
3. पैरा 6(डी) :- अनिर्णीत.

(घ). अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90 :-

1. पैरा 11(I)(ii) : अनिर्णीत.
2. पैरा 7(ई) : अनिर्णीत.
3. पैरा 6 ([illegible]) : अनिर्णीत.
4. पैरा 5 ([illegible]) : अनिर्णीत.
5. पैरा 6(ई) :- अनिर्णीत.
6. पैरा 7 ([illegible])([illegible]) :- अनिर्णीत.
7. पैरा 7 ([illegible])([illegible])(2) :- अनिर्णीत.

पैरा 8(6 और 17 :- अनिर्णीत

(ङ). अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/11 :-

1. पैरा 4(10)(ग) :- अनिर्णीत
2. पैरा 4(12) :- अनिर्णीत
3. पैरा 6(5) :- अनिर्णीत
4. पैरा 9(ख) : अनिर्णीत
5. पैरा 9(8) :- अनिर्णीत

(च). अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/12 :-

1. पैरा 5(ग) :- अनिर्णीत
2. पैरा 7(क) :- अनिर्णीत
3. पैरा 10(ङ) :- अनिर्णीत
4. पैरा 11(च) :- अनिर्णीत

(छ). अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/12 से 3/13 :-

1. पैरा 4 :- अनिर्णीत
2. पैरा 6 :- अनिर्णीत

(ज). अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/13 से 3/14 :-

1. पैरा 8 : अनिर्णीत
2. पैरा 9 :- अनिर्णीत
3. पैरा 21 :- अनिर्णीत

(झ). अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/14 से 3/15 :-

1. पैरा 5 :- अनिर्णीत
2. पैरा 6 :- अनिर्णीत
3. पैरा 7 :- अनिर्णीत
4. पैरा 9 : अनिर्णीत
5. पैरा 10 :- अनिर्णीत
6. पैरा 11 :- अनिर्णीत
7. पैरा 12 :- अनिर्णीत
8. पैरा 15 :- अनिर्णीत
9. पैरा 16 :- अनिर्णीत
10. पैरा 24 :- अनिर्णीत
11. पैरा 26 :- अनिर्णीत

अनिर्णीत

12. पैरा 31:- आंशिक रूप से निपटाया गया
13. पैरा 32:- अनिर्णीत
14. पैरा 33:- आंशिक रूप से निपटाया गया
15. पैरा 34:- अनिर्णीत
16. पैरा 35:- अनिर्णीत
17. पैरा 41:- अनिर्णीत
18. पैरा 42:- अनिर्णीत
19. पैरा 44:- अनिर्णीत
20. पैरा 46:- अनिर्णीत

(अं) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/96:-

1. पैरा 6:- अनिर्णीत
2. पैरा 7:- अनिर्णीत
3. पैरा 8 (क) (1 से 4):- अनिर्णीत
~~4. पैरा 8 (ख, ग):-~~ अनिर्णीत
4. पैरा 15:- अनिर्णीत
5. पैरा 17:- अनिर्णीत
6. पैरा 18:- अनिर्णीत
7. पैरा 19 (क) (ग) (ड.):- अनिर्णीत
8. पैरा 20 (ग):- अनिर्णीत
9. पैरा 24:- अनिर्णीत
10. पैरा 27:- अनिर्णीत
11. पैरा 28 (ग):- अनिर्णीत
12. पैरा 29 (क) (ख):- अनिर्णीत
13. पैरा 30 (क):- अनिर्णीत
14. पैरा 31:- अनिर्णीत
15. पैरा 34:- अनिर्णीत
16. पैरा 35:- अनिर्णीत
17. पैरा 37:- अनिर्णीत
18. पैरा 42:- अनिर्णीत
19. पैरा 43:- अनिर्णीत
20. पैरा 45:-

100

21. पैरा 47 :- अनिर्णीत.

22. पैरा 52 :- अनिर्णीत.

(ट). अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्षों 4/96 से 3/97 :-

1. पैरा 6 (क, ग, ङ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड) :- अनिर्णीत.
2. पैरा 7 (घ) (2), (3) :- निर्णीत.
3. पैरा 7 (ङ, च) :- अनिर्णीत.
4. पैरा 8 :- अनिर्णीत.
5. पैरा 11 :- अनिर्णीत.
6. पैरा 12 (घ, च) :- अनिर्णीत.
7. पैरा ~~[illegible]~~ 16 :- अनिर्णीत.
8. पैरा 44 :- अनिर्णीत.
9. पैरा 45 :- अनिर्णीत.
10. पैरा 48 (क) :- अनिर्णीत.
11. पैरा 48 (ख) :- निर्णीत.
12. पैरा 54 :- अनिर्णीत.
13. पैरा 56 :- अनिर्णीत.
14. पैरा 57 :- अनिर्णीत.
15. पैरा 58 :- आंशिक रूप से निर्णीत किया गया.
16. पैरा 59 :- अनिर्णीत.

(ठ). अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्षों 4/97 से 3/98 :-

1. पैरा 4 :- निर्णीत.
2. पैरा 5 :- निर्णीत.
3. पैरा 6 :- अनिर्णीत.
4. पैरा 7 :- निर्णीत.
5. पैरा 8 (क), (ङ) :- अनिर्णीत.
6. पैरा 8 (ख), (ग), (घ) :- निर्णीत.
7. पैरा 9 :- निर्णीत.
8. पैरा 10 :- निर्णीत.

-101-

9. पैरा 11:- निर्णीत.
10. पैरा 12 (क):- निर्णीत.
11. पैरा 12 (ख):- अनिर्णीत.
12. पैरा 13:- अनिर्णीत.
13. पैरा 14 (क):- निर्णीत.
14. पैरा 14 (ख), (ग), (घ):- अनिर्णीत.
15. पैरा 15:- अनिर्णीत.
16. पैरा 16:- निर्णीत.
17. पैरा 17:- अनिर्णीत.
18. पैरा 18:- निर्णीत.
19. पैरा 19:- निर्णीत.
20. पैरा 20:- अनिर्णीत.
21. पैरा 21 (क):- अनिर्णीत.
22. पैरा 21 (ख):- निर्णीत.
23. पैरा 22:- अनिर्णीत.
24. पैरा 23:- निर्णीत.
25. पैरा 24:- अनिर्णीत.
26. पैरा 25:- अनिर्णीत.
27. पैरा 26:- निर्णीत.
28. पैरा 27:- निर्णीत.
29. पैरा 28:- निर्णीत.
30. पैरा 29:- अनिर्णीत.
31. पैरा 30. अनिर्णीत.
32. पैरा 31:- अनिर्णीत.
32. पैरा 32:- निर्णीत.
33. पैरा 33:- निर्णीत.
34. पैरा 34:- निर्णीत.
35. पैरा 35:- निर्णीत.
36. पैरा 36:- निर्णीत.
37. पैरा 37:- निर्णीत.
38. पैरा 38:- अनिर्णीत.

भाग – दो

2. **वर्तमान अंकेक्षण :-**

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल, धर्मशाला जिला कांगड़ा के अवधि 4/98 से 3/99 तक के लेखाओं का वर्तमान लेखा परीक्षण श्री विजय कुमार वालिया, अनुभाग अधिकारी व श्री विरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा श्री होशियार सिंह, उप नियन्त्रक के पर्यवेक्षण में दिनांक 1.7.1999 से 31-8-99 तक धर्मशाला में किया गया। मास 7/98 व 3/99 के लेखाओं का चयन विस्तृत जाँच हेतु किया गया। अंकेक्षण के परिणामों को आगामी अनुच्छेदों में समाविष्ट किया जाता है।

3. **अंकेक्षण शुल्क :-**

वर्ष 1998-99 के लेखाओं के अंकेक्षण शुल्क के सम्बन्ध में आवास बोर्ड मुख्यालय से पृथक से अनुरोध किया जाएगा।

103

(4)

पैरा संख्या (4) कर्मचारी वर्ग को अग्रिम :- हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के अधीन कार्यरत विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम भिन्न अग्रिमों के रूप में निम्नलिखित राशियाँ दिनांक 31-3-99 को समायोजन हेतु बकाया पड़ी थीं जिनका पूर्ण विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखाओं में वर्णित है। अग्रिम राशियों को समय पर वसूल न करने की स्थिति को बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि कुछ अधिकारी / कर्मचारी इस मण्डल से स्थानान्तरित हो चुके हैं, परन्तु अग्रिम राशियों का समायोजन करवाने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किये गये हैं। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार शीघ्र की जाये तथा अनुपालना की आगामी अंकेक्षण के दौरान जांच करवाई जाये।

क्रम संख्या	अग्रिम का विवरण	अग्रिम की राशि
1.	स्थानान्तरण यात्रा अग्रिम	145-00
2.	यात्रा अग्रिम	2,500-00
3.	वेतन अग्रिम	4,672-00
4.	स्टॉक अग्रिम	6,545-00

पैरा सलंग

(5) विविध अग्रिम :- रु० 18,91,454.58/- रुपये की धनराशि दिनांक 31.3.99 को विविध अग्रिम के रूप में विभिन्न विभागों, फर्मों, संस्थाओं तथा कर्मचारियों के विरुद्ध - समायोजन के लिये बकाया पड़ी थी, जिसका विवरण हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड के वार्षिक लेखाओं में दिया गया है। उपरोक्त अग्रिमों की समय पर वसूली न करने की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है। क्योंकि शेष अग्रिम राशियों को अपने पास बिना किसी प्रायोजन के रखने का ~~औचित्य~~ कोई भी औचित्य प्रतीत नहीं होता है। तथा इन राशियों की समय रहते साथ-साथ वसूली की जानी चाहिए थी। परन्तु इसके विपरीत अग्रिमधन की वसूली हेतु कोई भी ठोस प्रयास नहीं किये गये हैं। अतः यह प्रकरण उच्च-अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

पैरा संख्या (6) आवास बोर्ड बस्ती पालमपुर तथा कांगड़ा के मकान/प्लाट मालिकों से 31 मार्च, 1999 तक मु० 7,27,044/- ~~575,153/-~~ रुपये की वासियों ~~बस्तियों~~ के रख-रखाव प्रभार के रूप में वसूली न करना।

आवास बोर्ड की पालमपुर तथा कांगड़ा की वासियों के मालिकों ~~बस्तियों~~ से प्राप्त होने वाले रख-रखाव प्रभार की लम्बित पड़ी लगभग प्रभार की राशियों की वसूली हेतु मण्डल स्तर पर प्रयास किया जाये या सम्बन्धित उपमण्डलों से इन राशियों को तुरन्त या सुनियोजित ढंग से वसूल करने के निर्देश दिये जायें। इसके अतिरिक्त आवास बोर्ड मण्डल के कार्यालय में किसी वित्तीय वर्ष में कितनी वसूलियाँ की गई व कितनी वसूलियाँ शेष हैं, का पूर्ण अभिलेख खातों में दर्ज करना अपेक्षित है तथा यह सूचना वार्षिक लेखाओं में दर्ज करना भी अनिवार्य है क्योंकि सम्पूर्ण "सन्ड्री" "डैबिटर्ज" एवं "क्रैडिटर्ज" का तभी पता चल सकेगा।

उपमण्डल पालमपुर तथा कांगड़ा द्वारा रखे गये रख-रखाव प्रभार खातों की जांच के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 31.3.99 तक पालमपुर एवं कांगड़ा की वासियों ~~बस्तियों~~ के मकान/प्लाट मालिकों से इस प्रभार को लागू करने की तिथि से अद्यतन तक किसी भी प्रकार की राशि की वसूली नहीं की गई थी। रिकार्ड/अभिलेख की छान-बीन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इतनी बड़ी राशियों को वसूल करने

के लिए कोई भी प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। अतः शेष रख-रखाव प्रभार की राशियों की वसूली हेतु समुचित कार्यवाही अमल में लाई जाये।

दिनांक 31.3.99 तक रख-रखाव प्रभार राशि की शेष वसूलियों का विवरण निम्न-प्रकार था:-

(क) आवास बस्ती, कांगड़ा।-

क्रम संख्या	आंबटी का नाम	प्लाट/मकान संख्या	बकाया/शेष राशि (रुपये)
1.	श्री मधुसूदन भारद्वाज	एम. आई. जी. -- 2	6,302-00
2.	अधिशासी अभियन्ता (वी.एंड आर) एच०पी० पी० डब्लु० डी०, मण्डल-कांगड़ा	एम० आई० जी० - 3,7,8,9,10,11, 12, व 13	31,672-00
3.	लै० कर्नल के०सी० कटोच	एम०. आई०. जी० - 6	1,357-00
4.	श्रीमति रेणु रानी खुराना,	— पक्कीपीर — 14	1,357-00
5.	श्री एस०.पी०. शर्मा,	— ,, — 16	3,217-00
6.	श्री राजेश महाजन	— ,, — 18	3,217-00
7.	श्री ओ०.पी० . शर्मा	— ,, — 20	3,217-00
8.	श्री एस०.के० चौधरी	एम० . आई० .जी० — I — 28	4,107-00
9.	श्रीमति रेखा कुमारी	— पक्कीपीर — I — 29	99-00
10.	श्री एस० गुप्ता	— पक्कीपीर — I — 30	797-00
11.	श्री गोपाल कृष्णा	— ,, — ,, — 33	2,427-00
12.	श्री ए०.एस० माथुर	— ,, — ,, — 37	2,223-00
13.	श्री आर० .के० सूद	— ,, — ,, — 40	797-00
14.	श्री सुरेन्द्र कुमार	— ,, — ,, — 43	797-00
15.	श्री रामानन्द शर्मा	— ,, — ,, — 45	3,217-00
16.	लै० कर्नल के०.के० दुग्गल	— ,, — ,, — 47	2,301-00
17.	श्री ललित खन्ना	— ,, — ,, — 48	797-00
		जोड़	67,901-00

लगातार पृष्ठ पर

			67,901-00
18.	श्रीमति वीर प्यारी शर्मा	एच॰ आई॰ जी॰ – I – 49	3,217-00
19.	श्रीमति उषा मनोचा	— योपाकरि — I – 52	2,427-00
20.	लै॰ कर्नल बी॰ के॰ वीर	— " — " – 53	3,217-00
21.	श्री संजीव हाण्डा	— " — " – 54	4,373-00
22.	श्री मोहन लाल	एच॰ आई॰ जी॰ – II (एल॰ आई॰ जी॰) – 58	496-00
23.	श्री राजेन्द्र कुमार	— योपाकरि — 62	496-00
24.	श्री अनिल सूद	— " — 61	1,960-00
25.	श्री नरेन्द्र कुमार	— " — 63 (63)	2,808-00
26.	श्रीमति सरिता थापर	— " — 65	1,960-00
27.	श्रीमति विजय लखानी	— " — 66	1,379-00
28.	श्री मोहिन्दर सिंह	— " — 71	1960-00
29.	लै॰ कर्नल विनोद कुमार	— " — 72	1960-00
30.	श्रीमति मोनिका रानी	— " — 73	496-00
31.	श्रीमति रत्ना कानूगा	— " — 74	1,960-00
32.	श्रीमति विमला देवी	— " — 83	1,511-00
33.	श्री अविनाश कुमार	— " — 86	1,960-00
34.	श्री विनोद कुमार शर्मा	एच॰ आई॰ जी॰ फ्लैट न॰ – 1	1,737-00
35.	श्री कन्हैया लाल	— योपाकरि — 4	440-00
36.	श्री राजेन्द्र कुमार	— " — 7	440-00
37	श्री प्रदीप राज	— " — 8	1,737-00
38	श्री मोहन लाल	— " — 9	1,737-00
39.	श्री दलीप कुमार	— " — 10	440-00
40.	श्री विजय कुमार	— " — 12-ए	440-00
41.	श्री राज कुमार वाधवा	— " — 38	440-00
42.	श्री नानक चन्द मोगा	— " — 41	440-00
		योग	107932-00

लगातार पृष्ठ पर

15/8

			107,932-00
43.	श्रीमति मन्जू ग्रोवर	एच० आई० जी० प्लॉट नं० – 43	1737-00
44.	ई० ई० (एच०पी०पी० डब्लू०डी०) (बी० एण्ड आर०) डिवीजन कांगड़ा	एच० आई० जी० प्लॉट नं० 6, 14 से 17, 38, 45, 46, 47, 48, 42,	39,832-00
45.	श्री रमेश चन्द	एच० आई० जी० (एच० आई० जी०) – 19	1,553-00
46.	श्री रणजीत शर्मा	एच० आई० जी० प्लॉट नं० – 44	37-00
		कुल योग –	1,51,091-00

(ख) आवास बस्ती, पालमपुर :- (होल्टा)

क्रम संख्या	आबंटी का नाम	प्लाट / मकान संख्या	बकाया/शेष राशि (रुपये)
1.	श्री टी० डी० गुप्ता	एच० आई० जी० फ्लै०–I	1,222-00
2	श्री देवेन्द्र सूद	एच० आई० जी० पी० -- 4	963-00
3.	श्री एम० सी० गुप्ता	—— यथोपरि — 5	963-00
4.	श्री एस० सी० व्यास	—— ,, —— 6	6,843-00
5.	श्री गेंदा लाल बंसल	—— ,, —— 8	1,892-00
6.	श्रीमति आशा बंसल	—— ,, —— 9	1,576-00
7.	श्री राजेन्द्र सिंह	—— ,, —— 12	1,576-00
8.	श्री गोलिन्द नाथ	—— ,, —— 15	8,184-00
9.	श्री नवीन कुमार थालिया	—— ,, —— 16	953-00
10.	श्रीमति प्रमिला कंवर	—— ,, —— 17	527-00
11.	श्रीमति आदेश	—— ,, —— 20	6,469-00
12.	डा० के०के० परमार	—— ,, —— 52	12,752-00
13.	श्री राम प्रकाश नागपाल	एल० आई० जी० —→ 55	4,296-00
14.	श्री आर० सी० गुप्ता	—— ,, —— 56	9521-00
15.	श्रीमति जय देवी	—— ,, —— ~~20~~ 57	297-00
16.	श्रीमति विमला कौशल	एल० आई० जी० -- 59	1,080-00
17.	श्रीमति इन्दिरा सूद	—— यथोपरि —— 89	324-00
18.	निदेशक (सी० एस० आई० आर) पालमपुर	एल० आई० जी० 21 से 31	1,45,071-00
19.	निदेशक, कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सी० एस० आई० आर	—— ,, —— 44	21,801-00
			2,26,310-00

(14)

109-

			2,26,310-00
20.	मुख्य अभियन्ता (बी० एंड आर) पी. डब्ल्यू. डी. धर्मशाला,	एस० आई० जी० 39, 40, 42	62,844-00
21.	श्री आर० पी० एस० कटवाल	— यथोपरि — 46	20,790-00
22.	निदेशक केआरडीनोडिंग (सी० एस आई० आर)	— ,, — 47, 48	39,069-00
23.	लै० कर्नल अशोक मल्होत्रा	— ,, — 50	20,790-00
24.	श्री मति विमला सूद	— ,, — 32	433-00
25.	श्री राजीव गम्भीर	— ,, — 33	433-00
26.	श्री पी० एस० मनकोटिया	— ,, — 34	2,772-00
27.	श्रीमति चन्द्रकान्ता	— ,, — 35	13,864-00
28.	मुख्य अभियन्ता (बी० एंड आर) पी० डब्ल्यू० डी०	एल० आई० जी० एच० 65 से 68	36,150-00
29.	श्री शेर सिंह	— यथोपरि — 81	2,714-00
30.	श्रीमति राज पठानियाँ	— ,, — 86	1,900-00
31.	निदेशक सी० एस० आई० आर० जें एण्ड के०	— ,, — 87, 88, 90 से 93	57,027-00
32.	मुख्य अभियन्ता (बी० एंड आर) पी० डब्ल्यू० डी०	एच० आई० जी० 2 एंव 3	48,205-00
33.	श्री मनोहर लाल शर्मा	— यथोपरि — ~~70~~ 71	9,418-00
34.	श्रीमति मीरा बरमानी	— यथोपरि — 73	1,660-00
35.	श्री औंकार चन्द सूद	— ,, — 75	1,860-00
36.	श्री मति शारदा सिंह	— ,, — 52-ए	4,280-00

आवास बस्ती, पालमपुर (वृन्दावन)

1.	श्री मति कुसुम शर्मा	मकान न० 6	1,392-00
2.	श्री जयवीर रवींमला	— यथोपरि — 7	696-00
3.	श्रीमति सविता रहेजा	— ,, — 10	696-00
4.	ब्रिगेडियर के० एस० जम्वाल	— ,, — 11	2,657-00
5.	श्री ए० एन० शर्मा	— ,, — 13	1,392-00
6.	मेजर जी० आर० नलेत्तारा	— ,, — 15	1,392-00
7.	श्री नीरज प्रकाश	— ,, — 17	1,392-00
		कुल योग	5,61,036-00

110 (15)

			5,61,036-00
8.	श्री विजय मित्तर महाजन	मकान नं० 18	2,847-00
9.	डा० एम०.एल० खरवाल	—— पूर्ववत —— 19	880-00
10.	श्रीमति जुनेश कायरिया	—— ,, —— 20	792-00
11.	श्रीमति मनोरमा गण्डोतरा	मकान नं० 27 कैट - II	440-00
12.	श्री आर०.के०.सूद	—— पूर्ववत —— 41	792-00
13.	श्री दीपक प्रकाश	—— ,, —— 49	902-00
14.	श्री सी०.पी० नागपाल	—— ,, —— 62	406-00
15.	श्री रमेश चन्द शर्मा	—— ,, —— 70	792-00
16.	श्री दिलदार चावला	—— ,, —— 73	792-00
17.	श्री सुखविन्दर सिंह	—— ,, —— 82	396-00
18.	श्री ओ० पी० शर्मा	—— ,, —— 87	1,089-00
19.	श्रीमति पुनम चौधरी	—— ,, —— 88	1,573-00
20.	श्री आर०.के० गुप्ता	—— ,, —— 89	484-00
21.	श्री ओम प्रकाश विज	—— ,, —— 90	792-00
22.	श्रीमति मनजीत रिप्लाच	—— ,, —— 91	1038-00
23.	मेजर अमित सूद	कैट - I मकान नं० 46	902-00
		कुल योग	5,75,953-00

782/-

पैरा संख्या

111

(16)

(7). वाऊचर संख्या: 30 दिनांक 10.3.99 रु० 2,07,363.00 रुपये।
कार्य का नाम: पुलिस आवास योजना (14 नं० टाईप-II क्वार्टर-डरोह एवं 2 नं० टाईप-I क्वार्टर-जवाली)

अनुबन्ध संख्या: 11 वर्ष 1998-99
संविदाकार का नाम: श्री डी. डी. जैन
बिल संख्या: दूसरा चलत बिल।

उपरोक्त कार्य का आबंटन निर्माण मंडल धर्मशाला के कार्यालय पत्र संख्या डी.डी./एच.पी./डब्लू-7/98-2938-44 दिनांक 26.10.98 द्वारा संविदाकार श्री डी.डी. जैन को निम्न शर्तों के आधार पर किया गया।—

(i) उपरोक्त निर्माणकार्य के फाउंडेशन एवं प्लिन्थ में आर.आर. मैसनरी लगाई जाएगी व सुपरस्ट्रक्चर का कार्य प्रीकास्ट कान्क्रीट सालिड ब्लॉक मैसनरी से किया जाएगा।

(ii) प्रीकास्ट कान्क्रीट सालिड ब्लॉक मैसनरी के निर्माण कार्य के लिए शर्त थी कि ठेकेदार ब्लॉक के निर्माण का कार्य उसी फैक्टरी से करवाएगा, जहां पर इसके निर्माण के लिए मशीनिकल औजार होंगे और अगर ठेकेदार अपनेआप ब्लॉक के निर्माण का कार्य, कार्यस्थल पर करेगा तो ब्लॉक के निर्माण के लिए जरूरी मशीनिकल औजार जैसे कि वाइब्रेटर, मिक्सर व मोल्डिंग मशीन उपलब्ध करवाने पड़ेंगे व साथ में इन ब्लॉकों की गुणवत्ता को मापने के लिए ठेकेदार स्वयं इन्तजाम करवाएगा ~~व सारा खर्च वहन करेगा।~~ इस पर होने वाले लागत व्यय का वहन स्वयं करेगा।

उपरोक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका संख्या 130/97 में की गई पैमाईश एवं बिल व उपलब्ध अभिलेख की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई ~~देखी गई~~ गई:—

(क) संविदाकार को सी.सी. ब्लॉक मैसनरी के कम गुणवत्ता (Below Specification) के निर्माण कार्य हेतु किये गये रु- 49938/- रुपये के भुगतान बारे:—

आवास मंडल धर्मशाला के अधिशासी अभियन्ता द्वारा संविदाकार श्री डी.डी. जैन को परिपत्र पत्र संख्या डी.डी./एच.पी./एफ.डब्लू/98-5001-02 दिनांक 22.2.99 द्वारा सूचित किया कि आप द्वारा

निर्मित ठेकेदार सीमेंट कान्क्रीट ब्लॉक के नमूने की जांच पी डब्लू डी की प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में करवाई गई व इनकी गुणवत्ता न्यूनतम स्तर 72 कि.ग्राम प्रति सैं.मी. की से कम पाई गई। अतः आप द्वारा निर्मित ब्लॉक को निर्माण कार्य में कम गुणवत्ता (Below specification) पाये जाने की वजह से उपयोग नहीं किया जा सकता है और आप फैक्टरी द्वारा निर्मित ब्लॉक जांच करवाने के बाद उपरोक्त निर्माण कार्य में प्रयोग करें। इसके उपरान्त उपमण्डल पालमपुर के सहायक अभियन्ता द्वारा ठेकेदार श्री डी. डी. जैन को पत्र संख्या एच.पी.-ए.ई. पी-डब्ल्यू-32-70-71 दिनांक 7.4.1999 निर्देश। कहा गया कि आपने अभी तक सी.सी. ब्लॉक की जांच रीपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है जबकि अनुबन्ध सी.सी. ब्लॉक के निर्माण कार्य के आरम्भ की शर्तों के अनुसार सी.सी. ब्लॉक के निर्माण कार्य करने से पहले ब्लॉक की गुणवत्ता की जांच ठेकेदार द्वारा अपने खर्चे पर करवाकर [illegible] सौंपनी आवश्यक है अतः बिना प्रस्तुत किए [illegible] आपको कोई सी.सी. ब्लॉक की गुणवत्ता रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जायेगा।

अतः उपरोक्त पत्राचार से यह स्पष्ट है कि संविदाकार द्वारा पहले निर्मित सी.सी. ब्लॉक कम गुणवत्ता के थे और इनका उपयोग निर्माण कार्य में नहीं हो सकता था जबकि माप पुस्तिका संख्या 930/97 के पेज 66 में दर्ज सी.सी. ब्लॉक मैसनरी के निर्माण कार्य की पैमाइश से पता चलता है कि ठेकेदार द्वारा 34.44 घन मीटर कार्य जिसकी पैमाइश माप पुस्तिका में दिनांक 4.3.99 को दर्ज की गई थी, का भुगतान क्र० 1450/- रुपये प्रति घनमी. की दर से कुल राशि 49,938/- दिनांक 10.3.99 को संविदाकार को किया गया। जबकि उपमण्डल के सहायक अभियन्ता ने अपने पत्र दिनांक 7.4.99 द्वारा संविदाकार को सी.सी. ब्लॉक की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के कारण किसी प्रकार के भुगतान न करने की सूचना/आदेश दे दिए गए थे। अतः इस प्रकार

प्रकरण की जांच की जाए व कम गुणवत्ता Below Specification के निर्माण कार्य करने पर संविदाकार के विरुद्ध अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जाए। क्योंकि कम गुणवत्ता वाला निर्माण कार्य संविदाकार द्वारा किसी प्रकार में किया गया है अतः आपके ऊपर किए गये अच्छी गुणवत्ता के निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित आवश्य हुई होगी।

उपरोक्त पत्र की अनुपालना में संविदाकार द्वारा प्रस्तुत सी.सी. ब्लॉक की गुणवत्ता से सम्बन्धित जांच रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत की गई है हि.प्र.लो.नि.वि. की नूरपुर प्रयोगशाला द्वारा दिनांक 5-5-1999 को जारी की गई है तथा इसमें स्पष्ट लिखा है कि संविदाकार द्वारा जो सी.सी. ब्लॉक दिनांक 14.3.99 व 20.3.99 को निर्मित किए गये थे उनकी जांच दिनांक 26.4.99 को की गई। जबकि संविदाकार को [illegible] मु० 49938/-रु. का भुगतान सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा किए गये निर्माण कार्य [illegible] की कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका में पैमाइश दिनांक 4.3.99 को की गई थी। उपरोक्त विवरण से अतः यह स्पष्ट है कि संविदाकार को मु० 49938/- रुपये का कम गुणवत्ता Below specification के निष्पादित निर्माण कार्य हेतु भुगतान किया गया। [illegible] इस सम्बन्ध के तथ्यों की विभागीय जांच की जाए व दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए तथा संविदाकार के विरुद्ध भी अनुबन्ध की विभिन्न शर्तों के अन्तर्गत कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) सी.सी. ब्लॉक की गुणवत्ता जांच हेतु विभागीय गाड़ी के प्रयोग करने पर मु० 346/- रुपये की वसूली संविदाकार से न करने बारे :-

अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार सी.सी. ब्लॉकों की गुणवत्ता की जांच अगर ठेकेदार अपने स्तर पर करवाता है तो उसके द्वारा खर्च 2/ संविदाकार से वसूल किया जाना चाहिए था।

तारीख

..11

114 (15)

~~जबकि~~ संविदाकार द्वारा निर्मित उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु निर्मित सी. सी. ब्लोक को अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिनांक 17.2.99 को कार्य निर्माण स्थल से विभागीय गाड़ी सं. एच.पी.-03-1445 में लाया शिमला (~~अधि~~ (शिमला में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय सम्बन्धी कार्य हेतु यात्रा पर थे) चंडीगढ़ में दिनांक 20.2.99 को डी जी पी सी प्रयोगशाला में जांच हेतु ले जाया गया व जांच करवाई गई जिसकी रिपोर्ट संविदाकार श्री डी.डी जैन को पंजिकृत पत्र संख्या डी.डी./एच बी/ ए.बी./निधि/ 98-5001-02 दिनांक 22.2.99 द्वारा सूचित की गई। उपरोक्त जांच हेतु कोई भी खर्चा इस आधार पर संविदाकार से वसूल नहीं किया गया कि विभागीय गाड़ी कार्यालय सम्बन्धी कार्य हेतु शिमला जा रही थी। परन्तु लोग बुक के अवलोकन पर पाया गया कि गाड़ी दिनांक 20.2.99 को शिमला से चंडीगढ़ 228 कि०मी० की दूरी सिर्फ सी.सी. ब्लोक की गुणवत्ता जांच हेतु ~~जानी~~ चलाई गई है। अतः संविदाकार से 228 कि०मी० की वसूली आकार रेट दर + 10% विभागीय प्रभार यानी रु० 15.18 रुपये प्रति कि०मी० की दर से कुल राशि 3461/- रुपये वसूल की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

(ग) निर्माण कार्य की मद संख्या 35 में की गई दोहरी पैमाइश की वजह से रु० 12,982/- रुपये के अधिक भुगतान की वसूली बारे:-

माप पुस्तिका संख्या 930 के पृष्ठ संख्या 61 में अनुबन्ध की मद संख्या 35 जो कि "स्टील वर्क इन सिंगल सैक्शन" से सम्बन्धित है, की कार्यमात्रा 4.77.31 कि०ग्राम के लिए संविदाकार को रु० 26/- रुपये प्रति कि०ग्राम के हिसाब से कुल राशि 12982/- रुपये का भुगतान किया गया। माप पुस्तिका में

115 (20)

दर्ज की गई पैमाइश निम्न प्रकार से है।

(i) फ्लैट फ्रेम डोर आफ इन्वान शटरज (40 x 6 एम एम)

वरटीकल = 48.72 मी० हारिजेन्टल = 9.60 मी०

कुल कार्यमात्रा 48.72+9.60 = 58.32 चलत मीटर

अतः कुल भार (परिवर्तित इकाई 1.90 कि०ग्रा०) ~~=58.32x~~

= 58.32 x 1.90 = 110.80 कि० ग्राम।

(ii) जौड़ शटरइन विन्डो (50 x 6 एम.एम.)

एक मकान की पैमाइश की कुल कार्यमात्रा = 26.98 मी०

कुल भार (परिवर्तित इकाई 2.40 कि०ग्रा०) = 26.98 x 2.40

= 64.75 कि०ग्रा०

अतः छः मकानो के लिए कुल कार्यमात्रा = 64.75 x 6

= 388.50 कि०ग्रा०

भुगतान की गई कुल कार्यमात्रा (1+2) = 110.80 + 388.50 = 499.31 कि० ग्राम।

अनुबन्ध की विभिन्न मदों व अनुमानित कार्यमात्रा की जांच पर पाया गया कि उपरोक्त मद सं० 35 में संविदाकार को रु० 12,982/- रुपये का किया गया भुगतान गलत किया गया था क्योंकि जिन मदों की पैमाइश मद संख्या 35 में की गई थी वह पैमाइश अनुबन्ध की मद संख्या 37 व 39 की देय मानदर में ~~सम्मिलित~~ थी। अतः उपरोक्त कार्यमात्रा की पैमाइश ~~जो मद सं० 35 में की गई ... नहीं~~ को दोबारा पैमाइश करके दोहरा भुगतान मद संख्या 37 व 39 जो के सम्मिलित थी, में की पैमाइश मद सं० 35 ... किया गया प्रतीत होता है। उपरोक्त निर्माणकार्य में अनुबन्ध की मद संख्या 35 की कुल अनुमानित कार्यमात्रा 0.835 क्विन्टल आंकी गई है। अतः इस अनुबन्ध में ~~आंकी गई~~ की गई ~~अधिक कार्यमात्रा की गई कुल~~ दरों को आदि नियमित करके से भुगतान की गई राशि 12,982/- रुपये की संविदाकार से तुरन्त वसूली की जाये व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखवाई जाये।

(घ) माप पुस्तिका संख्या 930 के पेज 61 में अनुबन्ध की मद संख्या 37 जो कि "प्रोवाइडिंग एण्ड फिक्सिंग टी-आयरन फ्रेम आफ डोर, विन्डो" से सम्बन्धित है, की कार्यमात्रा 622.72 मी० के लिए संविदाकार को रु० 110/- रुपये प्रति मी० की दर से कुल राशि रु० 68499.20 रुपये का भुगतान किया गया। कुल कार्यमात्रा 622.72 मीटर में से केवल 561.76 मीटर कार्यमात्रा अनुबन्ध की अनुमानित कार्यमात्रा में सम्मिलित थी जबकि 60.96 मीटर कार्यमात्रा जिसकी पैमाइश निचली मन्जिल के तीन ब्लॉक के दरवाजों में वायर मेश शटर लगाने हेतु निम्न प्रकार से की गई थी:-

3 × 4 × (0.70 + 2.09 + 2.09) = 60.96 मी०.

परन्तु दरवाजों में वायर मेश शटर लगाने हेतु कोई विभागीय आदेश अभिलेखों में नहीं दिखाये गये और जो ड्राइंग विभाग द्वारा जारी की गई थी उसमें भी वायर मेश शटर लगाने का कोई प्रावधान नहीं था। ~~अतः यह स्पष्ट नहीं होता कि किसके आदेशों से एम एस वायर मेश शटर लगाये गये। इस मद के लिए संविदाकार को 60.96 मी० कार्यमात्रा की रु० 6705/- रुपये की राशी~~ के भुगतान को रोक लिया जाए व विभागीय जांच की जाए कि उपरोक्त 60.96 मी० की कार्यमात्रा का कार्य वास्तव में ~~कार्यस्थल पर हुआ है या नहीं। अगर बिना किसी आदेश के 60.96 मी० की कार्यमात्रा का कार्य करवाया गया है तो दोषी कर्मचारी की जिम्मेवारी तय की जाए व वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।~~

4. कार्य अनुबन्ध से बाहरी [illegible]

उक्त आपत्ति [illegible]

[illegible]

117 (22)

पैरा संख्या

(8) वाउचर संख्या : 115 दिनांक 24.3.99 रु० 4,93,742.00 रुपये।
कार्य का नाम : पुलिस आवास योजना (6 नं० टाईप-I क्वार्टर्स, पालमपुर एवं बैजनाथ में)
अनुबन्ध संख्या : 23 वर्ष 1998-99
संविदाकार का नाम : श्री भरत कपूर
बिल संख्या : प्रथम-चलत बिल।

उपरोक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका संख्या 974/98 व 975/98 में की गई विभिन्न मदों की पैमाइश एवं बिल की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमिततायें पाई ~~दर्ज की~~ गईं:-

(क) निर्माण कार्य की मद संख्या 38 की गलत एवं दोहरी पैमाइश से संविदाकार को लगभग 60,000/- रुपये का अधिक भुगतान करें :→

अनुबन्ध की मद संख्या 38 जो कि "प्रोवाईडिंग एंड फिक्सिंग फिक्स्ड स्टील ग्लेज्ड डोर, विन्डो एंड वेन्टीलेटर्स" से सम्बन्धित है की (e) स्टील विन्डो में (i) फिक्स्ड स्टील विन्डो मद की पैमाइश माप पुस्तिका संख्या 974/98 के पेज 25 में निम्न प्रकार से दर्ज की गई थी।-

बैजनाथ में टाईप नं०-I के छः मकानों हेतु →

W $6\times(1\times1\times1.80\times1.20)$ = 12.96 वर्ग मी.
W_1 $6\times(1\times1\times1.35\times1.20)$ = 9.72 वर्ग मी.
W_2 $6\times(1\times1\times0.90\times1.00)$ = 5.40 ”
W_3 $6\times(1\times1\times0.45\times1.20)$ = 3.24 ”
W_4 $6\times(1\times2\times0.45\times1.00)$ = 5.40 ”
36.72 वर्ग मी.

जमा 36.72 वर्ग मी. कार्य मात्रा खिड़की में जाली के पल्ले लगाने हेतु
अतः कुल कार्य मात्रा 36.72 + 36.72 = 73.44 वर्ग मी.
जमा 73.44 वर्ग मी. कार्य मात्रा पालमपुर में छः मकानों के लिए।
अतः कुल 146.88 वर्ग मी. (73.44+73.44) कार्यमात्रा का संविदाकार को रु. 500/- प्रति वर्ग मीटर की (पूर्ण दर 750/- प्रति वर्ग मी.) की आंशिक दर से कुल रु.0 73,440/- रुपये का भुगतान किया गया। इससे अतिरिक्त संविदाकार को

118 (23)

"साइड हन्ग विन्डो" की 43.80 वर्ग मी. कार्यमात्रा के लिए 700/- रुपये प्रति वर्ग मी. (पूर्ण दर 900/-रुपये प्रतिवर्ग मी.) की आंशिक दर से रु० 30,660/- रुपये का भुगतान निम्नलिखित पैमाईश के हिसाब से किया गया :-

W 6 × (1×2 × 0.44 × 1.155) = 6.09 वर्ग मी.

W_1 6 × (1×2 × 0.44 × 1.15) = 6.07 "

W_2 6 × (1×1×1×0.435 × 0.945) = 2.46 "

W_3 6 × (1×1 × 0.41 × 1.15) = 2.83 "

W_4 6 × (1×1 × 2 × 0.395 × 0.94) = 4.45 "

21.90 वर्ग मी.

जमा 21.90 वर्गमी. कार्यमात्रा पालमपुर में बनने वाले छ: मकानों के लिए। अतः कुल कार्यमात्रा 21.90 + 21.90 = 43.80 वर्गमी.

उपरोक्त पैमाईश की जांच से स्पष्ट दिखाई देता है कि "फिक्सड स्टील विन्डो" की पैमाईश गलत तरीके से एवं दो बार की गई है क्योंकि जो पैमाईश साइड हन्ग विन्डो की मद में देय थी उस मात्रा को भी फिक्सड स्टील विन्डो की पैमाईश में जोड़ कर भुगतान किया गया था और जो पैमाईश खिड़की में जाली के फ्रेम लगाने की अनुबन्ध की मद संख्या 39 में देय थी, और अतिरिक्त रूप से भुगतान किया गया था उसकी पैमाईश को भी फिक्सड स्टील विन्डो की पैमाईश में जोड़ लिया गया और W_3 व W_4 की पैमाईश को भी फिक्सड स्टील विन्डो में दोहरी पैमाईश करके भुगतान किया गया जबकि W_3 व W_4 में कोई भी फिक्सड स्टील विंडो नहीं लगाई गई। अतः उपरोक्त पैमाईश गलत ढंग से की गई ~~से ठेकेदार को~~ प्रतीत होती है तथा इस कार्यमात्रा के कारण ठेकेदार को लगभग 60,000/- रुपये का अधिक भुगतान किया गया। फिक्सड स्टील विन्डो की पैमाईस सम्भवतः निम्न प्रकार से की जानी चाहिए थी :-

W 6 × (1×1 × 1.80 × 1.20) = 12.96 वर्गमीटर

~~जो मात्रा~~ साइड हन्ग विन्डो में ली गई 6.09 वर्ग मी. की कार्यमात्रा की कटौती के उपरान्त फिक्सड स्टील विन्डो की कुल देय कार्य मात्रा = 12.96 − 6.09 = 6.87 वर्गमीटर —①

W_1 6 × (1×1×1.35 × 1.20) = 9.72 वर्गमीटर

साइड हन्ग विन्डो में ली गई 6.07 वर्ग मी. की कार्यमात्रा की कटौती के उपरान्त फिक्सड स्टील विन्डो की कुल देय कार्यमात्रा।

9.72 − 6.07 = 3.65 वर्ग मीटर —②

-119-

(24)

W_2 6 × (1×1 × 0.90×1.00) = 5.40 वर्गमी०

साईड हन्ग विन्डो में ली गई 2.46 वर्गमी. की कार्यमात्रा की कटौती के उपरान्त फिक्सड स्टील विन्डो की कुल देय कार्यमात्रा = 5.40 − 2.46 = 2.94 वर्ग मीटर —③

अत: फिक्सड स्टील विन्डों की वैजनाथ के छ: मकानों में कुल देय कार्यमात्रा ①+②+③ =

6.87 + 3.65 + 2.94 = 13.46 वर्गमीटर

जमा पालमपुर के निर्माणाधीन छ: मकानों के लिए 13.46 वर्ग मीटर की कार्यमात्रा।

अत: कुल कार्यमात्रा जो ठेकेदार को उपरोक्त निर्माण कार्य में फिक्सड स्टील विन्डो की बनती है। 13.46 + 13.46 = 26.92 वर्गमीटर। रु० 500/- रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से इस मद हेतु कुल भुगतान रु. 13460/ रुपये ठेकेदार को किया जाना चाहिए था जबकि आवास मण्डल धर्मशाला द्वारा इस मद के लिए ठेकेदार को रु० 73,440/- रुपये का भुगतान किया गया। इस प्रकार कुल रु० 59980/- रुपये की ~~कुल~~ राशी का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। अगर इस मद की पूर्ण देय दर रु० 750/ रुपये प्रतिवर्गमीटर से भुगतान किया जाता तो कुल अधिक भुगतान की राशि रु. 89,970/ रुपये बनती।

आवास मण्डल धर्मशाला द्वारा अपने अनुबन्ध में उपरोक्त मद की कार्यमात्रा 23.52 वर्गमीटर का अनुमान लगाया गया था। अत: "फिक्सड स्टील विन्डों" मद की कार्यमात्रा की अधिक ली गई पैमाईश की ~~जांच हो~~ दोबारा जांच की जाए तथा अधिक की गई भुगतान की राशि को ठेकेदार से तुरन्त वसूल किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखवाई जाए।

(ख) ठेकेदार से प्रथम चालत बिल का भुगतान करने से पहले, "कर्मचारी भविष्य निधि एवं अन्य विभिन्न प्रावधान अधिनियम 1952" के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में लगाये गये कर्मचारियों एवं मजदूरों को मजदूरी के रूप में देय भुगतान के 12 प्रतिशत हिस्से को ठेकेदार

के बिलों में से काट कर आयुक्त, भविष्य निधि शिमला के कार्यालय में जमा करवाना अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अनिवार्य था। जबकि ठेकेदार को इस बिल का भुगतान करने से पहले भविष्य निधि ~~की~~ कैटेगरी जमा करवाई जाने वाली राशि को नहीं काटा गया। ~~जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व कुल राशि को अब काट कर आयुक्त के कार्यालय में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।~~

इस अनियमितता का शीघ्र निपटारा किया जाए।

पैरा सं.

(9) वाऊचर संख्या : 50 दिनांक 31.7.98 मु० 191,258/-रुपये।

कार्य का नाम : जे. एन. वी. रोहल (नगला) (इनलार्जमेंट आफ साईट, कन्स्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वाल एण्ड बी वाल)।

अनुबन्ध संख्या : 40 वर्ष 1997-98

संविदाकार का नाम : श्री दलीप सहगल।

बिल संख्या : प्रथम से पांचवें बिल तक।

उपरोक्त निर्माणकार्य का आवंटन निर्माण मंडल द्वारा पत्र संख्या डी.डी./एन.वी./डब्लू न/97-1760-67 दिनांक 26.7.97 द्वारा संविदाकार श्री दलीप सहगल को कुल राशि 14,37,635=69 रुपये के लिए किया गया। इस कार्य के प्रथम चलत बिल से लेकर पाँचवें चलत बिल तक किए गये भुगतानों की जांच पर निम्नलिखित आपत्तियां दर्ज पाई गईं:।

(क) संविदाकार को मु० 43,384/-रुपये का भुगतान उसके द्वारा कम गुणवत्ता (Below specification) के निर्माणकार्य पर करने बारे:-

उपरोक्त निर्माणकार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जांच पर पाया गया कि सहायक अभियन्ता के पत्र संख्या एच.वी. सी. एस. डी./डब्लू-एच/98-296-98 दिनांक 10/10/98 द्वारा संविदाकार को सूचित किया कि आप द्वारा जो एस. आर.-3 व 4 के सामने रिटेनिंग वाल में स्टोन मैसनरी का निर्माण कार्य किया हुआ है वह कम गुणवत्ता (Below specification) का है क्योंकि उसमें लगाये गये पत्थर ड्रेस्ड ठीक से नहीं हैं। अतः उक्त कार्य को गिराकर पुनः ठीक से निर्मित किया जाये। इसकी रिपोर्ट कनिष्ठ अभियन्ता ने अपने पत्र सं. शून्य दिनांक 8/10/98 द्वारा सहायक अभियन्ता को की थी। उक्त पत्र के आधार पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा संविदाकार को पत्र संख्या डी.डी./एन. वी./ए.वी./जे एन वी-डी वी ए./98-3578-79 दिनांक 27.11.98 द्वारा कम गुणवत्ता (Below specification) के निर्माण कार्य को गिराने व पुनः निर्मित करने के आदेश दिए गये। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि संविदाकार द्वारा कम गुणवत्ता (Below specification) के निर्माण किए हुऐ कार्य को नहीं गिराया क्योंकि सहायक अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता को पत्र सं. एच.वी./सी एस डी./डब्लू-एच/98-346 दिनांक 4.12.98 द्वारा सूचित किया

कि संविदाकार द्वारा कम गुणवत्ता (Below specification) के किये गये निर्माणकार्य को नही गिराया है। जिसपर अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या डी.डी./एच बी/ए बी/जे एन बी/डी बी ए/98-4027-28 दिनांक 24.12.98 द्वारा संविदाकार को कम गुणवत्ता के निर्माणकार्य को ठीक करने के लिये कहा अन्यथा उक्त निर्माण कार्य दि[illegible] का कोई भुगतान नही किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या एच.बी.सी एस डी/डब्लू एच./98-417 दिनांक 12.1.99 द्वारा अधिशासी अभियन्ता को सूचित किया कि संविदाकार द्वारा डिफेक्टिव वर्क को ठीक कर दिया है जोकि वास्तविकता से हटकर प्रतीत होता है क्योंकि माप पुस्तिका संख्या 909/97 के पेज सं.81 से 85 में एस.आर. 3 व 4 के सामने रिटेनिंग वाल में स्टोन मैशनरी के निर्माण कार्य की पैमाइश निम्नविवरणानुसार दिनांक 9.10.98 को दर्ज की गई थी।

क्रम सं.	मद का नाम	निर्माण कार्य मात्रा की पैमाइश पीस संख्या I	II	III	IV	कुल कार्यमात्रा	दर रुपये	भुगतान की गई कुल राशि
1	सी आर मैशनरी 1:6	10.90 घन मी.	8.99 घनमी.	7.49 घनमी.	7.12 घनमी.	34.5 घन मी.	734 प्रति घ.मी.	25,323/-रुपये
2.	सी.सी. 1:4:8	1.41 घ.मी.	1.16 घनमी.	1.33 घनमी.	0.88 घनमी.	4.78 घन मी.	962. प्रतिघनमी.	4598/-रुपये
3.	ड्राई सी.आर.मैशनरी	16.56 घन.मी.	11.48 घन मी.	11.08 घनमी.	6.21 घन.मी.	45.33 घन.मी.	297 प्रतिघनमी.	13,463/-रुपये

कुल योग राशि रु० 43,384.00

सहायक अभियन्ता द्वारा उपरोक्त कार्यमात्रा एवं गुणवत्ता पर अपना टेस्ट चेक दिनांक 9.10.98 को माप पुस्तिका संख्या 909 के पेज सं. 82 मे दर्ज किया हुआ है। व निर्माणकार्य की उपरोक्त कार्यमात्रा का भुगतान संविदाकार को चतुर्थ चलत बिल मे चेक संख्या 534394 दिनांक 24.10.98 मु० राशि 135050/- रुपये द्वारा किया जा चुका है। अतः सहायक अभियन्ता द्वारा अपने पत्र संख्या एच.बी./सी.एस.डी./डब्लू-एच/98-346 दिनांक 4.12.98 द्वारा अधिशासी अभियन्ता को सूचित किया जाना कि संविदाकार द्वारा कम गुणवत्ता (Below specification) के निर्माण कार्य को नही गिराया गया है कहां तक उचित है जबकि उक्त कार्यमात्रा की पैमाइश दिनांक 9.10.98 को की गई व भुगतान दिनांक 24.10.98 को किया जा चुका है। अतः उपरोक्त मामले की पूर्ण जांच की जाये व दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों की

विरुद्ध उचित कार्यवाही के अतिरिक्त की जाए संविदाकार द्वारा कम गुणवत्ता के निर्माणकार्य करने पर अनुबन्ध की विभिन्न शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) अनुबन्ध की मद संख्या 2. जो कि "अतिरिक्त इन एक्सकैवेशन इन फाउंडेशन ट्रैन्चेज के हार्ड रोक" कार्य से सम्बन्धित है कि संविदाकार द्वारा पांचवें चलत बिल तक की गई कार्यमात्रा की जांच पर पाया गया कि हार्ड रोक के कार्य से निकलने वाले बोल्डर स्टोन की एम. ए. एस. रजिस्टर में बहुत कम मात्रा दर्ज की गई प्रतीत होती है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रम सं.	माप पुस्तिका संख्या एवं पृष्ठ संख्या	हार्ड रोक की कार्यमात्रा	बोल्डर स्टोन की मात्रा जो एम ए एस रजिस्टर में दर्ज की गई
1	909/97 पेज सं. 5	48.70 घन मी.	शून्य
2.	909/97 पेज सं. 15	15.19 घन मी.	शून्य
3.	909/97 पेज सं. 36	15.19 घन मी.	शून्य
4.	909/97 पेज सं. 55	24.90 घन मी.	4.59 घन मी.
5.	909/97 पेज सं. 66	24.09 घन मी.	11.73 घन. मी.
6.	909/97 पेज सं. 79	47.77 घन मी.	शून्य
7.	909/97 पेज सं. 89	9.27 घन. मी.	शून्य
8.	909/97 पेज सं. 99	72.19 घन मी.	शून्य
	योग	257.30 घन मी.	16.32 घन. मी.

संविदाकार द्वारा पांचवें चलत बिल तक "बोल्डर स्टोन फिलिंग" की 268.27 घन मीटर कार्यमात्रा हेतु रु० 116/- रुपये प्रतिघन मी. की दर से कुल राशि रु० 31119.32 रुपये का भुगतान किया गया जबकि संविदाकार को वाबत बोर्ड द्वारा जारी बोल्डर स्टोन 23.97 घन मी. की रु. 181/- रुपये प्रतिघन मी. के हिसाब से कुल कटौति रु. 4339/- रुपये की गई। उपरोक्त विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि हार्ड रोक की कटिंग से जो बोल्डर स्टोन कार्यस्थल पर पाया गया उसको एम.ए.एस. रजिस्टर में दर्ज न करके संविदाकार को जारी कम किया गया अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया गया होगा क्योंकि 257.30 घ.

से सम्बन्धित कार्मिकों की मिलीभगत के बावजूद केवल

मी० हार्ड स्टोन की ब्लास्टिंग ~~की मात्रा को मात्र~~ 16.32 घन मीटर बोल्डर ~~ब्लास्टेड~~ स्टोन को एम. ए. एस. रजिस्टर में दर्ज करना ~~उचित प्रतीत नहीं होता जिसकी जांच की जाए एवं वस्तुस्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करवाया जाये~~ । वास्तविकता से दूर प्रतीत होता है। अतः इस सम्बन्ध में आवास बोर्ड के उच्चाधिकारियों द्वारा तथ्यों की शीघ्र छानबीन करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत ~~करवाया जाये~~ करवाए जाने के अतिरिक्त कार्य स्थल पर प्राप्त हुए लगभग बोल्डर स्टोन के आगामी निपटारे से सम्बन्धित आंकलन जांच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

पैरा सं. -125- (30)

(10). वाउचर संख्या : 160 दिनांक 31.3.99 मु० 20,443/- रुपये।
कार्य का नाम : हि०प्र० शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी आवास योजना चौलगाड़ी में सड़क का निर्माण कार्य।
अनुबन्ध संख्या : 23 वर्ष 1997-98
ठेकेदार का नाम : श्री कमल किशोर शर्मा।
बिल संख्या : द्वितीय एवं अन्तिम बिल।

उपरोक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका सं. 916 में की गई पैमाइश के ब्यौरा व बिल की जांच पर पाया गया कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अनुबन्धित कार्य मात्रा व वास्तविक में निष्पादित ~~निम्नलिखित मदों की कार्य मात्रा में~~ ~~मदों में निम्नलिखित विचलन दर्ज किया गया~~ अत्याधिक विचलन था :-

क्रम सं.	मद का नाम	अनुबन्धित राशि	वास्तविक राशि	विचलन राशि	
1.	सड़क निर्माण कार्य हेतु मैटलिंग	84240.00 रुपये	121708.52	(+) 55558.52	(-) 18090.00
2.	अतिरिक्त मदों की राशि	शून्य	13787.93	13787.93	शून्य
3.	प्रतिस्थापित मदों की राशि	शून्य	41,714.52	41,714.52	शून्य
	योग	84240.00	177210.97	(+) 111060.97	(-) 18090.00

अतः उपरोक्त निर्माण कार्य में कुल मु० 92,970.70 रुपये की राशि का विचलन दर्ज किया गया जोकि अनुबन्धित राशि से लगभग 110 प्रतिशत अधिक है। इसमें से मु० 55502.45 रुपये की राशि का विचलन अतिरिक्त एवं प्रतिस्थापित मदों से सम्बन्धित ~~का बनता~~ है। उपरोक्त विचलन विवरणी को अधिशाषी अभियन्ता आवास बोर्ड धर्मशाला मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया था जबकि उपरोक्त राशि के विचलन को अनुमोदित करने की अधिशाषी अभियन्ता के पास कोई अधिकार नहीं है। अतः उपरोक्त अत्याधिक विचलन होने के कारण बताते हुए तथा उचित कारणों सहित उपरोक्त विचलन को सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाया जावे व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में निरीक्षित करवाई जावे।

126 (31)

पैरा सं.

(11) वाऊचर संख्या : 115 दिनांक 31.3.99 मु० 96,639.00 रुपये।
कार्य का नाम : स्वत: वित्तीय योजना (आवास) खनियारा धर्मशाला, (सड़क के मैटलिंग एवं टारिंग का कार्य)
अनुबन्ध संख्या : 4 वर्ष 1997-98
ठेकेदार : श्री गन्दर्भ सिंह।
बिल संख्या : द्वितीय एवं अन्तिम बिल।

उपरोक्त निर्माण कार्य की माप पुस्तिका संख्या 956/98 में की गई पैमाईश व बिल की जांच पर पाया गया कि निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:-

(क) पैमाईश की गणना में गलती की वजह से ठेकेदार को मु० 304/- रुपये का अधिक भुगतान :-

निम्नलिखित मदों की पैमाईश की गणना में गलती की वजह से ठेकेदार को मु० 304/- रुपये का अधिक भुगतान किया गया है जिसकी तुरन्त वसूली की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

मद सं.	मद का संक्षिप्त नाम	वास्तविक मात्रा जिसका भुगतान किया गया	वास्तविक मात्रा जिसका भुगतान किया जाना था	दर (रुपये)	अधिक भुगतान की गई राशी
3/3	स्टोन सौलिंग	315.50 घनमी.	315.13 घनमी.	470.00 प्रतिघनमी.	174.00
4/4	वैयरिंग कोट	210.33 घनमी.	210.08 घन मी.	520.00 प्रतिघनमी.	130.00
				योग	मु० 304.00 रुपये

(ख) ऐसा प्रतीत होता है कि ठेकेदार से रोड रोलर चार्जिज की पूरी वसूली नहीं की गई है क्योंकि उपरोक्त निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा 2100.88 घन मीटर का "स्टोन सौलिंग एवं वैरिंग कोट" का कार्य किया गया जिसके लिए ठेकेदार से रोड रोलर के उपयोग हेतु कुल 31.166 घण्टे की मु० 220/- रुपये प्रति घण्टा की दर से कुल 6857/00 रुपये की वसूली की गई। जबकि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार रोड रोलर आवास मण्डल धर्मशाला द्वारा दिया

(29) (32) 33

उपलब्ध करवाया
न जाना था। माप पुस्तिका के पेज 65, 66 पर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रमाणपत्र दिया गया है कि ठेकेदार द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु रोड रोलर अपने स्तर पर लाया गया था इसलिए ठेकेदार से सिर्फ उतने घन्टे की वसूली की गई जितने घन्टे रोड रोलर आवास बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाया गया। किन्तु ठेकेदार द्वारा अपने स्तर पर रोड रोलर उपलब्ध करवाने सम्बन्धित कोई प्रमाणपत्र / दस्तावेज अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गये और न ही ~~विभाग से~~ आवास बोर्ड द्वारा रोड रोलर अपने स्तर पर उपलब्ध करवाने हेतु कोई पत्राचार आदि में प्रस्तुत किया गया। ~~अतः 2100.88 घनमीटर के स्टोन सोलिंग एवं वैरिंग कोट के लिए जितने घन्टे रोड रोलर चलाया गया है उतने घन्टे की वसूली ठेकेदार से की जाये अथवा ठेकेदार ने कौन से विभाग से रोड रोलर लेकर उपरोक्त कार्य सम्पन्न किया उसका प्रमाण अंकेक्षण को दिखाया जाये व पूरे प्रकरण की जाँच की जाये।~~

~~(ख) कार्य के पूरा किये जाने सम्बन्धी प्रमाणपत्र आदि भी नहीं दिखाया गया जिसे आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाये।~~

उपरोक्त आक्षेप के अभाव में कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका में दर्ज किया गया प्रमाणपत्र कि "संवेदक द्वारा अपने स्तर पर रोड रोलर कार्य स्थल पर लाया था" सही प्रतीत नहीं होता। अतः या तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए अन्यथा कुल निष्पादित कार्य मात्रा के दृष्टिगत रोड रोलर की आवश्यकता का विभागीय तौर पर निर्धारण कर के संवेदक से शेष देय राशि की शीघ्र वसूली कर के अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाया जाए।

(ग) इसके अतिरिक्त कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

128 (33)

पैरा सं. 3 — (12) वाऊचर संख्या : 50 दिनांक 10.3.99 रु० 5,14,066.00 रुपये।
कार्य का नाम : सलोह (धर्मशाला) में पुलिस विभाग की दूसरी बटालियन के रिहायशी मकानों का निर्माणकार्य (42 नं० टाईप-I क्वार्टरज)
अनुबन्ध संख्या : 19 वर्ष 1998-99.

उपरोक्त कार्य का आवंटन निर्माण मण्डल धर्मशाला के कार्यालय पत्र संख्या : II/स्था.नी./डब्लयू-7/98-3823-29 दिनांक 15.12.98 द्वारा संविदाकार श्री उमेश महाजन को कुल राशि रु० 17,51,519.10 रुपये के लिए किया गया। इस कार्य के दूसरे चलत बिल की जांच करने पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गईं।

(क) बिल की मद संख्या 1 (परिशिष्ट "ए") जो कि मिट्टी की कटान से सम्बन्धित थी, की कार्यमात्रा 2832.15 घन मीटर की रु. 65/- रु. प्रतिघन मी. (पुनिदर 70/- प्रतिघन मी.) की दर से दूसरे चलत बिल में संविदाकार को भुगतान किया गया है। अनुबन्ध के अनुसार इस मद की अनुमानित कार्यमात्रा केवल 882.07 घनमीटर आंकी गई थी। अतः दूसरे चलत बिल तक मिट्टी के कटान की पैमाईश में लगभग 220 प्रतिशत विचलन दर्ज हो चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त निर्माण कार्य की अनुमानित लागत आंकलन करने से पहले निर्माण कार्यस्थल का सर्वेक्षण ठीक से नहीं किया गया था अथवा जानबूझ कर मिट्टी की कटान की मात्रा को कम दर्शाया गया था। ~~निविदाओं जांच की और क्योंकि~~ संविदाकार द्वारा ~~इस~~ अनुबन्ध अवसार मद की दर 70/- भरी थी जबकि इस मद की निम्नतम एवं उचित दर रु. 50.50 रुपये बनती है। जब ठेकेदार से उपरोक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में नेगोशिएशन की गई तो इस मद की दर को कम करवाने बारे कोई कार्यवाही नहीं की गई जबकि संविदाकार द्वारा इस मद की दर निम्नतम एवं उचित दर से रु०

19.50 रुपये अधिक गयी थी। अतः इस मद में संविदाकार को दूसरे चलत बिल तक मु० 38026.00 रुपये का भुगतान विशेषण एवं उचित दर से अधिक (केवल अनुमानित एवं अनुबन्धित मात्रा से अधिक करवाये गये कार्य पर) किया गया। अगर मिट्टी के कटान की अनुमानित मात्रा को सही आंका गया होता तो संविदाकार सम्भवतः इस मद की दर को कम करता। ~~अतः इसकी पूरी जांच की जाये व वस्तुस्थिति से ओडिटर को अवगत करवाया जाये~~ उपरोक्त मद की कार्य मात्रा में अत्याधिक विचलन एवं (निर्धारित) विशेषित दर से काफी अधिक दर पर भुगतान करने वाले मामले की छानबीन हेतु उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया जाए।

(ख) बिल की मद संख्या 10/36 (प्रतिस्थापित) जो कि टी-आइरन फ्रेम के दरवाजे, खिड़की व रोशनदान के लगाने (P/F) से सम्बन्धित है, के लिए संविदाकार को दूसरे चलत बिल में मु० 117969.60 रुपये का भुगतान कार्यमात्रा 1474.62 मीटर की 80.00 रुपये प्रति मी० (मुकाबिल 115.70 प्रति मीटर) के हिसाब से भुगतान किया गया। 1474.62 मीटर कार्यमात्रा सात ब्लोकों के 42 मकानों में 294 दरवाजे लगाने पर बनती है जबकि दूसरे चलत बिल तक माप पुस्तिका 97/98 व 983/98 से की गई पैमाइश से पता चलता है कि संविदाकार ने दो ब्लोक की निचली मंजिल का निर्माण कार्य चलाया हुआ है, जिनमें अभी ऐसा भी दरवाजा को नहीं लगाया गया है। अतः दूसरे इस मद की अनुमानित कुल कार्य मात्रा 1472.62 मी० ~~के लिए मु० 117969.60 रुपये~~ चलत बिल में ~~इस मद के~~ करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि का भुगतान संविदाकार को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस अनियमितता बारे पूर्ण तथ्यों सहित आलेख ~~विशेषण के उद्देश्य से किया गया प्रतीत होता है~~ स्पष्ट किया जाये। ~~उक्त पूरी जांच करके अधिकारियों को~~

(ग) उपरोक्त निर्माण कार्य में स्टील की खपत की सम्भावित पैमाइश की जांच पर पाया गया कि विभाग द्वारा स्टील के वजन को निकालते वक्त जो परिवर्तन इकाई लगाई जाती है जो ठेकेदार के हित में हो, जैसा कि 12 एम० एम० स्टील का परिवर्तन इकाई 0.89 लगाई जाती है जबकि 8 एम० एम० स्टील के लिए 0.395 प्रति किलोग्राम

(क्रमशः)

~~कृपया पृष्ठ पलटें~~

लगाई गई। अगर 12 एम. एम. स्टील के लिए तीन दशमलव की इकाई लगाई जाती जो कि वास्तव में 0.888 प्रति किलोग्राम है तो संविदाकार को इस बिल में रु. 124.00 रुपये का कम भुगतान करना पड़ता क्योंकि माप पुस्तिका सं. 971/98 पेज 43 में 12 एम. एम. स्टील की मात्रा परिवर्तन इकाई 0.89 लगाकर 2970.40 किलोग्राम दर्ज की गई है। अगर परिवर्तन इकाई .888 लगाई जाती तो 12 एम. एम. स्टील की कुल मात्रा 2964.41 किलोग्राम बनती थी। अतः परामर्श दिया जाता है कि स्टील की परिवर्तन इकाई में एकरूपता होनी चाहिए चाहे वो दो दशमलव तक हो या तीन दशमलव तक। इसके अतिरिक्त अधिक किये गये रु. 124/- रुपये के भुगतान की संविदाकार से वसूली करके ~~और भविष्य में उचित~~ ~~परिवर्तन इकाई का औचित्य अपनाया जाए~~ अनुपालना का सत्यापन आगामी अंकेक्षण पर कराया जाए।

(ख) संविदाकार द्वारा परिशिष्ट "जी" की मद संख्या 4 ए व बी की दरें अत्यधिक कम भरी गई हैं और इन मदों का सम्बन्धित कार्य उपरोक्त निर्माण कार्य के अन्तिम चरण में किया जाना है। यह मदें सैंड कास्ट / कास्ट आईरन पाईप से सम्बन्धित है व तथा इनका ~~जिनका~~ विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र.सं.	मद संख्या	अनुमानित मात्रा	दत्त दर रुपये	विश्लेषण सं. उचित दर	दत्त दर व विश्लेषण एवं उचित दर के अन्तर का कुल मूल्य
1.	4-(ए) 75 एम.एम.	521.50 मीटर	10.00 प्रति मी.	213.25 प्रति मी.	रु. ~~115382.00~~ 1,05,995.00
2.	4(बी) 100 एम.एम.	245.00 मी.	12.00 प्रति मी.	248.20 प्रति मी.	रु. 57869.00
				योग	रु. ~~173251.00~~ 163864

अतः उपरोक्त दो मदों में संविदाकार द्वारा विश्लेषण एवं उचित दर से रु० ~~173251/-~~ 1,63,864/- रुपये कम पर कार्य करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता द्वारा स्वीकार किया हुआ है परन्तु क्योंकि इन दो मदों ~~और निर्माण कार्य~~ से सम्बन्धित कार्य का

1209 — 20 — (37) (36)

निष्पादन पूर्ण निर्माण कार्यों के अन्तिम भुगतान में भुगतान किया जाना है तो इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ठेकेदार इन मदों का कार्य निष्पादित करने से पहले ही इन निर्माण कार्यों को छोड़ जाये क्योंकि ठेकेदार द्वारा/इनके द्वारा सामान कार्यस्थल पर पहुंचा दिया है और इस सम्बन्ध में नाप पुस्तिका में प्रमाणपत्र दर्ज किया जा चुका है। ~~चूंकि इस सामान की सुरक्षा हेतु आवास मण्डल धर्मशाला की व्यवस्था करनी चाहिए। उपरोक्त सामान को स्वयं से ठेकेदार को सुरक्षित अनुबंध देकर सारे सामान को सम्बन्धित उपमण्डल द्वारा अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त सामान की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसी कर्मचारी को दे दी जाये ताकि पूरी की तरह आवास बोर्ड को किसी सम्भावित हानि से बचाया जा सके।~~

अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण सतर्कता बरतने के साथ-2 यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन मदों से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन संविदाकार द्वारा समय रहते करा लिया जाये ताकि आवास बोर्ड को अनावश्यक रूप से कोई हानि न हो।

ह./

... को इस मद

129 37

पैरा सं० —(13) कार्य का नाम : सलोह (धर्मशाला) में पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकानों का निर्माण (36 नम्बर टाईप – I क्वार्टर)

अनुबन्ध संख्या : 1 वर्ष 1998-99.

वाऊचर संख्या : 1 दिनांक 1.3.99 मु० 3,08,267/- रुपये.

उपरोक्त कार्य का आवंटन निर्माण मण्डल धर्मशाला के कार्यालय पत्र संख्या डी.डी./एन.सी./ए.जी.-7/98-3816-22 दिनांक 15.12.98 द्वारा संविदाकार श्री उमेश कुमार महाजन को कुल राशी 66,34,076.16 रुपये के लिए किया गया। इस कार्य के प्रथम चलत बिल से लेकर दूसरे चलत बिल तक की विस्तृत जांच करने पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई।

(क) बिल की मद संख्या 1 (परिशिष्ट "ए") जो कि मिट्टी के कटान से सम्बन्धित थी की कार्यमात्रा 3200.51 घन मी० का 65/- रु० (F.R. Rate) प्रति घन मी० की दर से संविदाकार को भुगतान किया गया था। अनुबन्ध के अनुसार इस मद की अनुमानित कार्यमात्रा 756.06 घन मी० थी। ~~अतः~~ दूसरे चलत बिल तक उपरोक्त ~~निर्माण कार्य के~~ ब्लोक जिसमें 12 आवासीय मकान बन रहे हैं, की मिट्टी के कटान की पैमाईश दर्ज की गई है। इस प्रकार इस मद के कार्य में द्वितीय चलत बिल ~~तक~~ तक 323 प्रतिशत का विचलन ~~दर्ज किया गया~~ हो चुका था। संविदाकार को इस मद का भुगतान 70/- रुपये प्रति घन मी० की दर से किया जाना अनुमानित है जबकि इस मद की विश्लेषित दर केवल ~~करने पर भुगतान~~ 50.50 रुपये प्रतिघन मीटर बनती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त निर्माण कार्य की अनुमानित कार्य ~~मात्रा~~ मात्रा निकालने से पहले निर्माण स्थल का सर्वेक्षण ठीक नहीं करवाया गया, या जानबूझ कर मिट्टी की कटान से अनुमानित कार्य की मात्रा को कम दर्शाया गया है ~~जिसकी विभागीय जांच की जाए~~। क्योंकि संविदाकार को इस मद

का भुगतान 70/- रुपये प्रतिघन मीटर की दर से किया जाना है और जबकि इस मद की विश्लेषण एवं उचित दर 50.50 रुपये बनती है। जब संविदाकार से उपरोक्त निर्माणकार्य के सम्बन्ध मे Negotiation की तो इस मद की दर को कम करने बार कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्योंकि संविदाकार द्वारा इस मद की दर विश्लेषण एवं उचित दर से 19.50 रुपये अधिक भरी थी। अतः इस मद में संविदाकार को दूसरे चलत बिल तक मु० 47666/- रुपये का भुगतान विश्लेषण एवं उचित दर से अधिक का किया गया। अतः उपरोक्त मद की कार्यमात्रा मे अत्याधिक बढ़ोतरी एवं विश्लेषण दर से भी अधिक दर से संविदाकार को भुगतान करने बार तथ्यों की छानबीन उच्चाधिकारियों द्वारा शीघ्र करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

(ख) बिल की मद संख्या 37 (प्रतिस्थापित) जोकि टी-आईरन फ्रेम के दरवाजे, खिड़कियाँ व रोशनदान के लगाने से सम्बन्धित है, के लिए संविदाकार संविदाकार को 1263.96 मीटर कार्यमात्रा की 80.00 रुपये प्रतिमीटर (परि रेट) (पूर्णदर 115.70 रुपये प्रतिमीटर) की दर से मु० राशि 101116.80 रुपये का भुगतान दूसरे चलत बिल मे किया गया। अंकेक्षण के दौरान

(131) (39)

देखा गया कि अनुबन्ध अनुसार निर्माणाधीन सभी 36 मकानों के पूर्ण कार्य में ही आईरन के दरवाजे खिड़कियां और रोशनदान की कुल कार्यमात्रा 1263.96 मीटर बनती थी। परन्तु उपरोक्त निर्माणकार्य के द्वितीय चलत बिल के अवलोकन पर पाया गया कि संविदाकार द्वारा इस बिल तक केवल 12 अदद मकानों का निर्माण कार्य ही शुरू किया गया था तथा वह भी अभी तक प्रारंभिक चरण में ही था तथा अभी तक इन 12 अदद मकानों में भी दरवाजे, खिड़कियां तथा रोशनदान इत्यादी नहीं लगाए गये थे। अतः अंकेक्षण के दौरान यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जब संविदाकार द्वारा द्वितीय चलत बिल तक केवल 12 अदद मकानों का ही निर्माण कार्य आरम्भ किया हुआ था और वह भी अभी तक प्रारम्भिक चरण में था तो अनुबंध अनुसार निर्मित किए जा रहे समस्त 36 अदद मकानों में दरवाजे, खिड़किया व रोशनदान लगाने से सम्बन्धित मद की पैमाईश किस आधार पर की गई थी।

उपरोक्त विवरण से ऐसा विदित होता है कि संविदाकार द्वारा इस मद का वास्तव में निष्पादन करने से पहले ही अनुबंध अनुसार इस मद की कार्यमात्रा को मापपुस्तिका में रिकार्ड प्रविष्टि/पैमाईश दर्शाकर संविदाकार को अनुमानित आधार पर ही भुगतान कर दिया गया जो वास्तव में देय नहीं बनता था। यह गम्भीर अनियमितता आवास बोर्ड के उच्च अधिकारियों के ध्यान में दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही एवं आवास बोर्ड को हुई हानि की गणना करके इस हानि की सीधी वसूली हेतू लाया जाता है क्योंकि ऐसा

जारी

आगामी अनुच्छेद में कार्यवाही चाहिए।

132 (५०)

भी प्रतीत होता है कि संविदाकार को अनियमित रूप से लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से इस मद का वास्तव में निष्पादन करने से पूर्व ही राशि रु० 101116.80 रुपये का भुगतान किया गया था।

(ग) संविदाकार द्वारा परिशिष्ट 'बी' की मद संख्या 4 (i) व (ii) की दरें अत्याधिक कम भरी गईं थीं और इन मदों का कार्य उपरोक्त निर्माण कार्य के अन्तिम चरण में किया जाना है।

रु० प० उ०

[illegible]

यह मदें सैंड कास्ट/कास्ट आईरन पाईप से सम्बन्धित हैं जिनकी दरें व मात्रा का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रमसं	अनुबन्ध की मद संख्या परिशिष्ट "बी"	अनुमानित मात्रा	दत्त दर रुपये	विश्लेषण एवं उचित दर	उचित दर व दत्त दर के अन्तर की कुल लागत मूल्य
1.	4. (i) 75 mm	447.00 Rmt.	10.00 प्रतिमी.	213.256 ~~213.25~~ प्रतिमी.	90,853=00 रु० ~~90,856.00~~
2.	4 (ii) 100 mm	210.00 मीटर	12.00 प्रतिमी.	248.20 प्रति मी.	रु. 49602.00
				योग रु:	1,40,455.00

अतः उपरोक्त दो मदों में संविदाकार द्वारा विश्लेषण एवं उचित दर से कुल रु० 140,455/- रुपये कम पर कार्य करने हेतु आवास मण्डल प्रयोगशाला को वचन दिया हुआ है परन्तु क्योंकि इन दो मदों का कार्य निर्माण कार्य के अन्तिम चरण में होना है तो इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ठेकेदार उक्त मदों का कार्य करने से पहले ही इस निर्माण कार्य को छोड़ जाए यद्यपि ठेकेदार द्वारा सारा सामान कार्य स्थल पर पहुंचा दिया है। ~~तब भी उक्त इस सामान की निगरानी की व्यवस्था आवास मण्डल प्रयोगशाला को करनी चाहिए। उपरोक्त सामान के एवज में ठेकेदार को सुरक्षित अग्रिमधन देकर सारे सामान को सम्बन्धित प्रखण्ड द्वारा अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। अतः यह परामर्श किया जाता है कि उपरोक्त सामान की जिम्मेवारी किसी अधिकारी को दे दी जाए ताकि पूर्व की तरह आवास बोर्ड को सम्भावित नुकसान से बचाया जा सके~~

[×] अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण सतर्कता बरतने के साथ-2 यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन मदों से सम्बन्धित कार्य का निष्पादन संविदाकार द्वारा समय रहते निपटा लिया जाए ताकि आवास बोर्ड को अनावश्यक रूप से होने वाली हानि से बचा जा सके।

(ख) उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु संविदाकार को प्रथम चलत बिल [illegible] निम्नलिखित मदों पर सुरक्षित अग्रिमधन प्रदान का भुगतान किया गया था:-

[illegible] कार्यवाही करें।

क्रम सं.	मद का नाम	मात्रा	दर	कुल राशि
1.	स्टोन एग्रीगेट 20 एम.एम. साईज	230 घनमी.	369=00 रु. प्रति घनमी.	84870=00 रुपये
2.	जी.आई. पाईप 15 एम.एम. (डायमीटर)	504 मी.	30.85 रु. प्रति मीटर	15548.00 "
3.	जी.आई. पाईप 20 एम.एम. (डायमीटर)	90 मी.	33.95 रु. प्रति मी.	3056.00 "
4.	जी.आई. पाईप 32 एम.एम. (डायमीटर)	72 मी.	40.50 रु. प्रति मी.	2916.00 "
			योग	106,390.00

परन्तु दूसरे चालू बिल में उपरोक्त सुरक्षित अग्रधन की कोई वसूली संविदाकार से नहीं की गई जबकि संविदाकार द्वारा दूसरे चालू बिल तक 232.53 घन मी. आर.आर. मेसनरी विद 20 एम.एम. एग्रीगेट का कार्य किया व भुगतान प्राप्त किया। 232.53 घनमीटर आर.आर. मेसनरी के कार्य में लगभग 155 घनमीटर 20 एम.एम. साईज का स्टोन एग्रीगेट प्रयोग किया गया बनता है जिसकी कुल कीमत लगभग रु. 57000/- रुपये बनती थी। अतः संविदाकार से दूसरे चालू बिल में सुरक्षित अग्रधन की रु. 57000/- रुपये कटौती की जानी चाहिए थी। ~~अतः जिन मदों पर सुरक्षित अग्रधन दिया गया है उनके प्रयोग होने पर अग्रधन की वसूली सुनिश्चित की जाए और बाकी की मदों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और गड़बड़ की जिम्मेवारी निर्धारित की जाए क्योंकि जी.आई. पाईप का उपयोग निर्माण कार्य के अन्तिम चरण में किया जाना है। इसके अतिरिक्त जी.आई. पाईप का अग्र~~

अतः अंकित राशि की कटौती संविदाकार के द्वितीय चालू बिल में न किए जाने के कारणों से आगामी [illegible] [illegible] के कारण [illegible] [illegible] वसूली [illegible] की गई [illegible] [illegible] दोषी से [illegible] [illegible] अनुपालना [illegible] जाए। [illegible] अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

पैरा सं.

(14) वाउचर संख्या : 147 दिनांक 31.3.97 रु. 2,05,698/- रुपये।
कार्य का नाम : जे. एन. बी. रोल([illegible]) (सड़क एवं रास्ते का निर्माण कार्य)
अनुबन्ध संख्या : 25 वर्ष 1996-97
संविदाकार : श्री रमेश कुमार सैनी।

उपरोक्त निर्माण कार्य के पांचवे चलत बिल की माप पुस्तिका संख्या 856/97 में दर्ज की गई पैमाइश की गणना की जांच पर निम्नलिखित आपत्तियाँ दर्ज की गई।

~~(क) गलत पैमाइश के फलस्वरूप संविदाकार को रु. 651.00 रुपये का अधिक भुगतान होने :→~~

(क) अनुबन्ध की मद संख्या 1 जो कि "अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन ओवर एरिया" से सम्बन्धित है, के लिए संविदाकार को 4.28 वर्ग मी. कार्यमात्रा की पैमाइश ज्यादा दर्शाकर (जिसका विवरण निम्न प्रकार से है) कुल 651.40 रुपये की राशी का अधिक भुगतान किया गया। माप पुस्तिका संख्या 856 पेज 53 में आर.डी. नं० 90 से 96 के लिए पैमाइश निम्न प्रकार से दर्ज की गई थी:-

	क्षेत्र	लम्बाई	कुल कार्यमात्रा
90 — 0.72 96 — 1.42	1.07	10	10.70 वर्ग मीटर

जबकि उपरोक्त पैमाइश इस प्रकार की जानी चाहिए थी।

	क्षेत्र	लम्बाई	कुल कार्यमात्रा
90 — 0.72 96 — 1.42	1.07	6	6.42 वर्ग मीटर

अतः संविदाकार को 4.28 वर्ग मी. (10.70 − 6.42) के अधिकतम का अधिक भुगतान निम्न विवरणानुसार किया गया।

		कार्यमात्रा	दर	कुल राशी
(i) सॉफ्ट लूज सोयल	10%	0.428 वर्ग मी.	40/- प्रति वर्ग मी.	17.12 रुपये
(ii) हार्ड/डेन्स सोयल	20%	0.856 वर्ग मी.	41.00 प्रति वर्ग मी.	35.09 रुपये
(iii) हार्ड रॉक	70%	2.996 वर्ग मी.	200.00 प्रति वर्ग मी.	599.20 रुपये
			योग	651.41 रुपये

अतः संविदाकार को अधिक भुगतान की गई राशी रु० 651.41 रुपये की तुरन्त वसूली कर ली जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जावे।

(136) (44)

पैरा सं.

(15) आउटचर संख्या : 56 दिनांक 31.7.98 रु० 2,83,037.00 वाला।

कार्य का नाम : हि०प्र० शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी आवास योजना धर्मशाला में निर्माणाधीन 16 नं० टाईप-II क्वार्टज़।

अनुबन्ध संख्या : 7 वर्ष 1995-96

बिल सं. : दसवां चलत बिल।

संविदाकार का नाम : श्री डी. डी. जैन।

उपरोक्त बिल की माप पुस्तिका में की गई पैमाइश की आकस्मिक जांच करने पर पाया गया कि संविदाकार द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य लगभग पूरा कर दिया है। अनुबन्ध में दी गई मदों की कार्यमात्रा व संविदाकार द्वारा वास्तव में निष्पादित ~~किये गये निर्माणकार्य की~~ कार्यमात्रा की जांच पर पाया गया कि संविदाकार द्वारा उपरोक्त निर्माणकार्य में स्टील व सीमेन्ट से सम्बन्धित कार्य लगभग पूरा कर दिया है व आगे स्टील व सीमेंट का कोई उपयोग शेष ~~नहीं~~ बचा प्रतीत नहीं होता है जबकि संविदाकार को निर्माणकार्य में प्रयोग हेतु जारी किए गये स्टील व सीमेंट की ~~मात्रा~~ निम्नलिखितानुसार ~~संविदाकार के~~ मात्रा उसके पास शेष ~~बची~~ हैं अभी तक शेष पड़ी हुई थी :-

मद का नाम	जारी की गई मात्रा	10वें चलत बिल तक खपत की गई मात्रा	शेष बची मात्रा	दर रुपये	कुल कीमत
सीमेंट	3730 बोरियां	3600 बोरियां	130 बोरियां	125.00	16250.00
स्टील	47.723 मी.टन.	44.770 मी.टन	2.953 मी/टन	13500/-	39865.00
				योग राशि रु०	56,115.00

~~अतः संविदाकार के पास अतिरिक्त उपलब्ध सीमेंट 130 बोरी सीमेंट व 2.953 मी० टन स्टील पड़ा है जिसकी आगे कोई खपत होनी शेष नहीं~~ है। अतः उपरोक्त सीमेंट व स्टील की मात्रा को संविदाकार से वापिस लेकर भण्डार में दर्ज किया जाए अन्यथा अनुबन्ध की शर्तों अनुसार इस सामान की राशि की वसूली की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

पैरा सं.

/32 (45)

(16) वाऊचर संख्या : 164 दिनांक 31.3.99

कार्य का नाम : पुलिस आवास योजना, कांगड़ा व शाहपुर (2 नं० टाईप -I क्वार्टर्ज)

अनुबन्ध संख्या : 18 वर्ष 1998-99

संविदाकार : श्री संजीव कुमार

बिल संख्या : दूसरा चलत बिल।

उपरोक्त बिल की जांच पर पाया गया कि मद संख्या 10/16 जो कि "ब्रास ~~ब्रिक~~ मैसनरी इन फाऊंडेशन एंड पलिन्थ इन सिमेन्ट मोरटर 1:4" ~~की~~ से सम्बन्धित थी, ~~का संविदाकार को~~ की कार्यमात्रा 4.98 घन मीटर का भुगतान रु० 260/- रुपये प्रतिघन मीटर की दर से किया गया। जबकि इस मद की अनुबन्धित दर रु० 240/- रुपये प्रतिघन मीटर थी। अतः ठेकेदार को 4.98 घनमीटर के लिए 20/- रुपये प्रतिघनमीटर की दर से कुल रु० 100/- रुपये का अधिक भुगतान किया गया। जिसकी वसूली ठेकेदार से शीघ्र की जाए ~~व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए~~। तथा भविष्य में सही दर से ही भुगतान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

138 (46)

पैरा सं०

(17) समायोजन वाऊचर संख्या: 32 मास 2/99 राशि रु० 6,37,133/रु०।

(क) उपरोक्त समायोजन वाऊचर द्वारा इन्डैन्ट संख्या 352 मास 1/99 द्वारा निर्माणाधीन, 42 अदद टाईप-II पुलिस क्वार्टज, सलोह (हरिमशाला) के एम० ए० एस० रजिस्टर में से 81.60 घन मीटर पत्थर संविदाकार को जारी किए गए जिसकी कीमत रु० 9457/- रुपये थी, का समायोजन निर्माणकार्य को डैबिट तथा "स्टाक शीर्ष" को क्रेडिट करके किया गया। परन्तु क्योंकि उपरोक्त पत्थर एम० ए० एस० रजिस्टर में से जारी किये गये थे। अतः यह व्यय पहले ही निर्माण कार्य को डैबिट हो चुका था व किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार गलत समायोजन करके यह राशि अनावश्यक रूप से निर्माणकार्य को दो बार डैबिट तथा स्टाक शीर्ष को क्रेडिट की गई थी। इस अनियमितता का शीघ्र निपटारा करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) इसी प्रकार उपरोक्त समायोजन वाऊचर द्वारा ही 36 अदद टाईप-II पुलिस क्वार्टज सलोह (हरिमशाला) के एम० ए० एस० रजिस्टर में से 20.40 घन मीटर पत्थर संविदाकार को जारी करके इसकी कीमत रु० 2365/- रुपये की राशि निर्माणकार्य को डैबिट तथा "स्टाक शीर्ष" को क्रेडिट करके समायोजित की गई जबकि यह राशि पहले ही निर्माणकार्य को डैबिट हो चुकी थी व किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं थी। अतः इस प्रकार गलत समायोजन करके यह राशि अनावश्यक रूप से निर्माणकार्य को दो बार डैबिट तथा स्टाक शीर्ष को क्रेडिट की गई थी। इस अनियमितता का शीघ्र निपटारा करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण दल अवगत करवाया जाए।

पैरा सं० (18) समायोजन वाऊचर संख्या : 2 माह 7/98. 139 (47)

उपरोक्त समायोजन वाऊचर द्वारा गुजरात अम्बुजा सीमेन्ट कम्पनी से जी. आर. संख्या 2107 तथा 2108 दिनांक 18.6.98 व 19.6.98 द्वारा प्राप्त 700 बोरी सीमेन्ट की कीमत राशि 99,827/- रूपये, का समायोजन किया गया। गुजरात अम्बुजा सीमेन्ट कम्पनी द्वारा सीमेन्ट की सप्लाई के सम्बन्ध में माह 6/98 की देनदारी लेजर खतौनी के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त कम्पनी द्वारा निम्नलिखित चालानों द्वारा आवास बोर्ड हनुमानगढ़ मण्डल को निम्नलिखित सीमेन्ट जारी करने के उपरान्त आवास बोर्ड मण्डल हनुमानगढ़ के खाते में जमा शेष राशी 'शून्य' दर्शाई गई थी।

दिनांक	चालान संख्या	सीमेन्ट की मात्रा
17.6.98	जी० एन बी. 97106691	240 बोरियां
17.6.98	" " 97106712	240 बोरियां
17.6.98	" " 97106723	220 बोरियां
22.6.98	" " 97108672	200 बोरियां
	योग	900 बोरियां

आवास बोर्ड मण्डल हनुमानगढ़ के लेखाओं के अवलोकन पर पाया गया कि उपरोक्त चालानों संख्या 97106691, 97106712, 97106723 द्वारा प्राप्त कुल 700 बोरी सीमेन्ट की प्राप्ति जी. आर. संख्या 2107 तथा 2108 दिनांक 18.6.98 तथा 19.6.98 को दर्ज की गई, परन्तु चालान संख्या 97108672 द्वारा प्राप्त 200 बोरी सीमेन्ट की प्राप्ति के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिशाषी अभियन्ता आवास बोर्ड मण्डल हनुमानगढ़ के पत्र संख्या डी.डी./एच. जी./ए.जी./स्टोर/98-1916-17 दिनांक 20.8.98 द्वारा उपरोक्त कम्पनी से शेष 200 बोरी सीमेन्ट की प्राप्ति हेतु अनुरोध किया गया था/तदोपरान्त मण्डल स्तर पर उपरोक्त 200 बोरी सीमेन्ट की प्राप्ति हेतु कोई पत्राचार नहीं किया गया और न ही सम्बन्धित

(48)

कम्पनी द्वारा 200 बोरी सिमेन्ट आवास बोर्ड को सप्लाई किया गया। क्योंकि गुजरात अम्बुजा सिमेन्ट कम्पनी को उपरोक्त 700 बोरी सिमेन्ट की सप्लाई हेतु वाउचर संख्या 8 मास 6/98 द्वारा राशि रु० 128,349.00 रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया था। उक्त राशि में से 700 बोरी उपरोक्त जी० आर० द्वारा प्राप्त करके राशि रु० 99,827/- रुपये का समायोजन, वाउचर संख्या 2 मास 7/98 द्वारा किया गया तथा शेष 200 बोरी सिमेन्ट की कीमत की शेष राशि रु० 28,522/- रुपये अभी तक भी आवास बोर्ड के लेखाओं में असमायोजित लम्बित थे। जबकि गुजरात अम्बुजा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत देनदारी लैजर विवरणी अनुसार आवास बोर्ड की कोई देनदारी शेष नहीं थी।

उपरोक्त विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि या तो गुजरात अम्बुजा कम्पनी से उपरोक्त 200 बोरी सिमेन्ट आवास बोर्ड द्वारा प्राप्त करके इसका अन्यत्र दुरुपयोग कर लिया है अथवा यह सिमेन्ट, कम्पनी द्वारा कहीं अन्यत्र वितरित करके आवास बोर्ड की देनदारी शून्य दर्शा दी गई है। अतः यह मामला आवास बोर्ड के उच्चाधिकारियों द्वारा शीघ्र उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। इस सम्बन्ध मे तथ्यों की शीघ्र छानबीन करके दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के अतिरिक्त रु० 28,522/- रुपये की राशि के समायोजन हेतु तुरन्त कार्यवाही अमल मे लाई जावे।

पैरा संख्या (19). अंकेक्षण के दौरान यह देखा गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार निर्माण कार्य छोटे-2 भागों में बांटकर निर्माण कार्य आदेशों (वर्क आर्डर) के आधार पर विभिन्न संविदाकारों से करवाये गये हैं। जबकि एक निर्माण कार्य को सम्बन्धित एक ही अनुमान तैयार करने के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके तथा तदनुसार संविदाएं गठित कर व अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करवाकर कार्य करवाया जाना अपेक्षित था। एक ही निर्माण कार्य को छोटे-2 भागों में विभाजित करके उच्च अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त न करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया प्रतीत होता है। यह प्रकरण पूर्व वर्षों में भी अंकेक्षण द्वारा उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाये जाने के बावजूद भी इस अनियमित प्रक्रिया की रोक हेतु कोई उचित पग नहीं उठाये गये हैं। अतः यह मामला पुनः आवास बोर्ड के उच्च अधिकारियों के ध्यान में शीघ्र उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त एक ही निर्माण कार्य को छोटे-2 भागों में बांट कर करवाये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी से छूट प्राप्त करके अनुपालना की जांच आगामी अंकेक्षण पर कारवाई जावे।

...गुणवत्ता ~~(better specification quality)~~ का ~~विषय अंक~~

कार्य आदेश संख्या व वर्ष	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	कार्य आदेश की राशि
2-98/99	टूरिस्ट इन्फोरमेशन सेंटर मैकलोड गंज (रिटेनिंग वाल)	श्री अजय [illegible] राना	16,385-00
7/98-99	— यथोपरि — (पेंटिंग कार्य)	मैं० विजन इन्टीरियर	19,000-00
10/98-99	— " — (डवैलपमेंट आफ साईट)	श्री संजीव कटोच	6,000-00
19/98-99	— " — (पेंटिंग कार्य)	मैं० विजन इन्टीरियर रेलवे रोड पठानकोट	18,000-00
22/98-99	" (पेंटिंग कार्य)	— यथोपरि —	18,000-00
30/98-99	— " — (मिसलीनि- स्टील रैलिंग)	श्री किशन चन्द	18,756-00
1/98-99	एडवैन्चर एण्ड ट्रैकिंग [illegible] (सोशल टैस्टिंग)	डा० [illegible]	12,000-00
3/98-99	आफिस आफ सेक्रेटरी एच०पी० बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला (एडीशनल वर्क)	श्री [illegible]	10,674-00
4/98-99	सोशल हाउसिंग कालोनी नूरपुर (डवैलपमेंट आफ साईट)	श्री गोविन्द्र पाल	19,642-00
9/98-99	— " — रिटेनिंग वाल (डवैलपमेंट आफ साईट)	श्री गोविन्द्र पाल	19,642-00
31/98-99	— " — रिटेनिंग वाल (डवैलपमेंट आफ साईट)	— यथोपरि —	14,782-00
5/98-99	[illegible] स्कूल शिक्षा बोर्ड (रिटेनिंग वाल)	श्री संजीव कटोच	17,299-00

~~(Under Specification quality) तथा विभाग और~~

13/98-99	ए टाइप क्वार्टर्स, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड, बिलासपुर, (डेवलपमेंट आफ साईट)	श्री कुलदीप मैहता	9,188-00
23/98-99	—"— (२ गेट पेट सं. ... पिल्लर)	श्री रोशन लाल	17,160-00
24/98-99	—"— (रिटेनिंग वाल)	—यथोपरि—	17,881-00
25/98-99	—"— (डेवलपमेंट आफ साईट)	—"—	19,844-00
26/98-99	—"— (प्रोवाइडिंग स्टील गेट एवं पिल्लर)	—"—	19,119-00
27/98-99	— ऐडिशनल ... हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड बिलासपुर (एम एस ओवरहेड स्टोरेज टैंक)	मै० संजय स्टील फैब्रिकेशन	16,000-00
28/98-99	—"— (प्रोवाइडिंग एण्ड फिक्सिंग ... वाटर ...)	मै० संजय स्टील फैब्रिकेशन	5,771-00
29/98-99	—"— (प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल वाटर सप्लाई स्कीम)	मै० संजय स्टील फैब्रिकेशन	7,183-00
37/98-99	—"— (प्रोवाइडिंग ...)	मै० संजय स्टील फैब्रिकेशन	9,700-00
6/98-99	सैनिक ... स्कीम ... (रिटेनिंग वाल एवं ड्रेन वाल)	श्री कुलदीप मैहता	18,440-00
8/98-99	हाऊसिंग कालोनी (लोहरा) पालमपुर (कलवर्टस आफ ...)	श्री प्रीतम चन्द	18,609-00
17/98-99	— यथोपरि — प्रोवाइडिंग एण्ड ...	श्री अजय जैन	11,011-00
18/98-99	सैनिक ... स्कीम ... (रिटेनिंग वाल एवं ड्रेन वाल)	श्री कुलदीप मैहता	18,440-00

164 (52)

12/98-99	सोशल हाऊसिंग कॉलोनी, डोल्टा, पालमपुर, (वार्षिक रिपेयर एवं मैन्टीनेन्स)	श्री मस्त राम	19,966-00
14/98-99	—— पालमपुर —— (शिफ्टिंग आफ सिवरेज लाईन ~~कटेक्ट~~ शॉपिंग काम्प्लैक्स)	श्री आत्मा शर्मा	16,488-00
15/98-99	—— " —— (वार्षिक रिपेयर एवं मैन्टीनेन्स)	मै० संजय स्टील फैब्रिक्स	15,003-00
20/98-99	—— " —— (रेड, पाथ टू हाऊस)	श्री अजय शर्मा	16,945-00 (16,145)
21/98-99	—— " —— (टी वाल)	श्री अजय शर्मा	16,997-00
16/98-99	एडीसन आल्टेरेशन आफ एसीसटैंट इन्जीनियर रैजीडैन्स, विन्द्रावन (प्रोवाइडिंग एण्ड फिक्सिंग ग्रिल, शटरस ~~फार~~ डोर एंव विन्डो)	मै० संजय फैब्रिक्स	19861-00
11/98-99	—— पालमपुर —— (जी/एम० वाल बोर्ड शटरस)	मै० संजय फैब्रिक्स	19,399-00
32/98-99	जवाहर नवोदय विद्यालय, पपरोला, (टैपलेट टू 12 नं० एस.पी० क्लास रूम)	श्री सुभाष चन्द	7,841-00
33/98-99	—— पालमपुर —— (रैट इन हाल आफ ग्राऊन्ड फ्लोर)	श्री अश्वनी कुमार	13,430-00
34/98-99	—— " —— (टैपलेट टू 12 नं० रूमास एण्ड 3 नं० बैन्च)	श्री सुभाष चन्द	8283-00
35/98-99	—— " —— (प्रोवाईडिंग एक्सटरनल वाटर सप्लाई टू रूमास)	श्री राजेश कुमार	10,800-00
36/98-99	—— " —— (टैपलेट टू रूमस)	श्री अजय आरोरा	11,185-00
38/98-99	टूरिज्म रेस्टोरेन्ट एंड लॉजिंग, (प्रोवाइडिंग एंड [illegible] इन्सटालेशन)	श्री कुलदीप मेहरा	7,350-00

पैरा सं०

(20) ~~सामुदायिक~~ आवास कालौनी पालमपुर के अन्तर्गत ~~एम० ए० एस०~~ ~~रजिस्टर को~~ निर्माणकार्य जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला के एम० ए० एस० रजिस्टर के अनुसार ~~के अन्तर्गत~~ माह 11/98 में पेज संख्या 41 पर 17 क्विंटल ~~क्विंटल~~ 25 एम.एम. बी टोर स्टील आदि की प्राप्ति दर्शाई गई है। परन्तु इस प्राप्ति के सम्बन्ध में प्राप्ति का स्रोत यानि ~~कहीं कोई से~~ कौनसा निर्माण कार्य/भण्डार एवं माप पुस्तिका का पेज संख्या इत्यादि नहीं दर्शाया गया था। यह 25 एम.एम. स्टील जी.आर. संख्या 2156 दिनांक 16.12.98 द्वारा एम.ए.एस. रजिस्टर से उपमण्डल पालमपुर के स्टील में बिन कार्ड संख्या 119-बी पर प्राप्त की गई, परन्तु इस प्राप्ति के उपलक्ष में कोई उद्देश्य नहीं दर्शाया गया है। इसके उपरान्त इस स्टील की कीमत रु० 22100/- रुपये की राशि का लेखों में समायोजन जे.ई. वाउचर संख्या 20 मास 3/99 में इस प्रकार किया गया कि रु० 22100/- रुपये का स्टाक लेखा शीर्ष को डेबिट तथा विविध ~~आकस्मिकताएं~~ प्राप्तियां शीर्ष को क्रेडिट किया गया।

अतः उपरोक्त 17 क्विंटल 25 एम.एम. स्टील को बिना किसी उचित स्रोत से प्राप्त करके बिन कार्ड में दर्ज करने से ऐसा प्रतीत होता है कि जे.एन.वी. पपरोला में किए गए विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्य स्थल पर शेष पड़ा होगा ~~से बचा कर रखा गया~~ व माप पुस्तिका में ~~कोई~~ इसकी खपत दर्शाई गई होगी और किन्हीं दबाव/अन्य कारणों से मजबूरन इस 17 क्विंटल ~~क्विंटल~~ स्टील को बिन कार्ड में दर्ज करना पड़ा होगा। इसलिए इस पूरे प्रकरण की विभागीय जांच की जाए ~~व दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए~~ क्योंकि दोषी व्यक्तियों ~~ने~~ 17 क्विंटल 25 एम.एम. स्टील की मात्रा को निर्माण कार्यों ~~में~~ फलस्वरूप उपयोग न करके व माप पुस्तिका में इसकी खपत दर्शाकर सम्बन्धित निर्माणकार्य की गुणवत्ता (Below specification quality) का किया गया

होगा, जोकि एक अति गम्भीर अनियमितता का मामला है
बनता है। अतः दोषी कार्मिकों के विरुद्ध उचित कार्यवाही
की जाए ताकि इस प्रकार की गम्भीर अनियमितताओं की
पुनरावृत्ति न हो सके। इसके उपरान्त 11 क्विंटल
स्टील किसी उचित स्त्रोत से प्राप्त की गई है तो
उसका पूर्ण अभिलेख आगामी आलेखों में दिखाया
जाए।

अतः उच्चाधिकारियों से अनुरोध है कि वह इस प्रकरण
की निष्पक्ष जांच करवाकर यह सुनिश्चित करें कि कहीं निर्माण
कार्य पर स्टील का वास्तविक उपयोग से अधिक उपयोग दर्शाकर
यह स्टील कार्य स्थल पर शेष नहीं बची हुई तो नहीं थी।
यदि ऐसा है तो इस अनियमितता हेतु दोषी के विरुद्ध आवश्यक
कार्यवाही के अतिरिक्त सम्बन्धित निर्माण कार्य के ठेकेदार को
उपरोक्त स्टील की अधिक कार्य मात्रा हेतु भुगतान की
गई राशि की शीघ्र वसूली की दोषी कार्मिकों।
अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए।
की जाए।

पैरा संख्या (21) निर्माणकार्यों की अनुमानित लागत और वास्तविक लागत में विचलन के कारणों बारे :-

आवास बोर्ड के द्वारा ~~विभिन्न~~ निष्पादित करवाए जा रहे ~~अन्तर्गत चल रहे सभी~~ अनेक निर्माणकार्य अन्य विभागों द्वारा उपलब्ध करवाई गई धनराशि के बदले आवास बोर्ड के विभिन्न मण्डलों द्वारा डिपोजिट वर्क के रूप में निष्पादित किए जाते हैं। आवास बोर्ड के मण्डलों द्वारा निर्माणकार्यों की अनुमानित लागत तय की जाती है जिसके आधार पर सम्बन्धित विभाग अपने बजट में धन का प्रावधान करके अनुमानित राशि के बराबर राशि आवास बोर्ड में जमा करवाता है। तदोपरान्त सम्बन्धित मण्डल द्वारा निर्माणकार्य प्रारम्भ किया जाता है। आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न निर्माणकार्यों की अनुमानित लागत और वास्तविक लागत की तुलना ~~जांच~~ पर पाया गया कि अनुमानित लागत की अपेक्षा वास्तविक लागत में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। ~~वास्तविक लागत में वृद्धि के कारणों की जांच पर~~ इस वृद्धि का मुख्य कारण ~~पाया गया कि~~ मण्डल द्वारा अनुमानित लागत ~~निकालने से~~ तय करने से पहले न तो निर्माणस्थल की जांच करवाई जाती है और न ही वास्तविकता के आधार पर अनुमान बनाए जाते हैं क्योंकि अनुमानित लागत में कुछ ऐसी मदों को दर्शाया जाता है जिनका वास्तव में निर्माणस्थल पर कार्य नहीं किया जाता. जबकि इनके स्थान पर जिन मदों का कार्यस्थल पर वास्तव में कार्य किया जाता है उनकी वजह से वास्तविक ~~अनुमानित~~ लागत में करोड़ों रुपये की वृद्धि हो जाती है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि अनुमानित लागत तय करते ~~निकालने के लिए~~ समय सम्बन्धित निर्माणकार्यों में वास्तव में निष्पादित होने वाली मदों को ध्यान में न रख कर पूर्व में किए गये निर्माणकार्यों के अनुमानों के आधार पर नये निर्माणकार्यों की अनुमानित लागतों का निर्धारण किया जा रहा है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि

168 (56)

मुख्य अभियन्ता (द्वा) एच.पी.पी.डब्ल्यू.डी. शिमला को

बढ़ाई गई अनुमानित लागत को सम्बन्धित विभागों से वसूल ~~वसूल करने में आवास बोर्ड को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है~~ [विभागों से अधिक ... निर्धारित हो रहा है जिसकी भारी राशि विभागों से वसूली हेतु लम्बित है] जबकि डिपोजिट वर्क के लिए सरकार द्वारा स्पष्ट दिशानिर्देश/पत्र संख्या : पी डब्ल्यू (जी) डिपोजिट वर्क 76 | डब्ल्यू I-5501-5620 दिनांक 28.4.76 द्वारा जारी किए गये हैं जिनमें स्पष्ट लिखा है कि निर्माणकार्य की अनुमानित लागत निर्धारित करते ~~निकालते~~ वक्त मितव्ययता को ध्यान में रखना चाहिए व निर्माणकार्य करते वक्त अनुमानित कार्यमात्रा को ध्यान में रखना चाहिए ताकि वास्तविक लागत को नियन्त्रण में रखा जा सके। आवास मण्डल धर्मशाला द्वारा उपरोक्त कार्यकारी दिशानिर्देशों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। ~~अनुमानित लागतें आदि निर्धारित करते वक्त निम्नलिखित मदों में हो रहे अत्यधिक मितव्ययता को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है~~। जैसे कुछ उदाहरण निम्न दिए जाते हैं :

(क) धर्मशाला मण्डल के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न निर्माणकार्यों में अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार द्वारा फाउंडेशन लेवल के कार्य के ऊपर अनुमानित लागत के अनुसार "प्रोवाइडिंग/लेईंग पी.सी.सी. 38 एम.एम. थिक विद सीमेन्ट कान्क्रीट 1:2:4" की मद व इसके ऊपर "एपलाइंग ए कोट ऑफ हॉट बिटुमन" की मद को निष्पादित किया जाना निर्धारित किया गया था जबकि ~~निर्माण कार्य में~~ वास्तविक कार्य करवाते वक्त उपरोक्त मदों का निष्पादन ~~कार्य~~ नहीं करवाया जाता है व इसके स्थान पर "रिइनफोर्स्ड कान्क्रीट सीमेन्ट की प्रोवाइडिंग एण्ड लेईंग सीमेन्ट कान्क्रीट 1:2:4" का कार्य करवाया जाता है इस अकेली मद को अनुमानित लागत में न लेकर निर्माणकार्य की वास्तविक लागत लाखों रुपये बढ़ जाती है जिसके कुछ उदाहरण निम्नप्रकार से हैं।—

(i) निर्माणकार्य : पुलिस आवास योजना - 14 आवास टाईप-II [illegible] - [illegible] व 2 [illegible] टाईप-I [illegible] धर्मशाला।

अनुमानित कार्यमात्रा/लागत के अनुसार ठेकेदार को देय भुगतान :

(ए) प्रोवाइडिंग/लेइंग पी.पी.सी. 38 एम.एम थिक विद सिमेन्ट कान्क्रीट 1:2:4 कार्यमात्रा 28.98 वर्गमी. दर 150/- रुपये
कुल भुगतान रु० 4347/-रु.

(बी) एप्लाईंग ए कोट आफ होट बिटुमन।
कार्यमात्रा 28.98 वर्गमी. दर 50/-रु. कुल भुगतान रु. 1449/-रु.
योग 5,796/-रु.

संविदाकार द्वारा वास्तव में निर्माणकार्य स्थल पर निष्पादित मदें व उनकी कुल भुगतान राशि।

क्र.सं.	मद का नाम	कार्यमात्रा	दर	कुल राशि
1)	प्रो.ले. सिमेंट कान्क्रीट 1:2:4.	9.60 घनमी.	1880/- प्रति घन मी.	18048.00
2)	प्रो. एवं. फा. टोर स्टील बार आर.सी.सी.	1370.80 किग्रा.	20.50 प्रति कि.ग्रा.	28101.40
3)	फोरम वर्क	46.44 वर्गमी.	90.00 प्रति वर्ग मी.	4179.60
4)	एप्लाईंग कोट आफ होट बिटुमन	28.98 वर्गमी.	50.00 प्रति वर्ग मी.	1449.00
			योग	51,778.00

अतः निर्माणकार्य की लागत में कुल वृद्धि रु० 45,982/-रुपये (जिसका अनुमानित लागत में कोई प्रावधान नहीं किया गया था) (51778=00 - 5796=00).

(ii) निर्माणकार्य: पुलिस आवास योजना – 6 नग टाइप-I क्वार्टर्स पालमपुर एवं बैजनाथ।

अनुमानित कार्यमात्रा एवं लागत के अनुसार संविदाकार को देय भुगतान:

(ए) प्रो०ले० पी.सी.सी. 38 एम.एम. थिक विद सिमेन्ट कान्क्रीट 1:2:4
कार्यमात्रा 56.56 वर्गमी. दर 80/- प्रति वर्गमी. कुल भुगतान 4524.80 रुपये

(बी) एप्लाईंग ए कोट आफ होट बिटुमन
कार्यमात्रा 56.56 वर्गमी. दर 10/- प्रति वर्ग मी. कुल भुगतान 565.60 रुपये
योग: 5090.40 रुपये

संविदाकार द्वारा वास्तव में निर्माणकार्य स्थल पर निष्पादित मदें व उनकी कुल भुगतान राशि।

बैजनाथ :-

क्र.संख्या	मद का नाम	कार्यमात्रा	दर	कुल राशि
1.	प्रो.ले. सिमेन्ट कान्क्रीट 1:2:4	2.185 घनमी.	1850/- प्रतिघनमी.	4042.25 रु.

156 (58)

क्रम सं.	मद का नाम	कार्यमात्रा	दर	कुल राशि
2.	प्रो० एम. एस. टोर स्टील फार आर. सी. सी.	975.51 किलोग्रा.	20.50 प्रति किग्रा.	19,997.60 रु.
3.	फोरम वर्क	15.92 वर्गमी.	100/- प्रति वर्गमी.	1592.00 रु.
	पालमपुर :			
1.	प्रो०/लै० सिमेंट कान्क्रीट 1:2:4	2.154 घनमी.	1850/- प्रति घन मी.	3984.90 रु.
2.	प्रो० एम. एस. टोर स्टील फार आर. सी. सी.	466.89 किग्रा०	20.50 प्रति किग्रा०	9571.25 रु.
3.	फोरम वर्क	15.92 वर्गमी.	100/- प्रति वर्गमी.	1592.00 रु.
	बैजनाथ - पालमपुर			
1.	प्रो/लै० डी. पी. सी. 38 एम.एम. थिक विद सिमेंट कान्क्रीट 1:2:4	56.56 वर्गमी.	80/- प्रति वर्गमी.	4524.80 रु.
			योग	45306.80 रु.

अतः निर्माणकार्य की लागत में कुल रु० 40,216/- रुपये (45306.80 − 5,090) राशि की वृद्धि की गई जिसका अनुमानित लागत में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

(बी) ~~(सी)~~. उपरोक्त मद के निर्माणकार्य में संविदाकार द्वारा 56.56 वर्गमी. प्रो०/लै० डी. पी. सी. 38 एम.एम. थिक विद सिमेंट कान्क्रीट 1:2:4 का कार्य किया गया जिसके लिए संविदाकार को रु. 4524/- रुपये की राशि का भुगतान किया गया। ~~इस मद का कार्य करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए~~ क्योंकि जब डी. पी. सी. के स्थान पर विभाग द्वारा फाउंडेशन के ऊपर भूकंपरोधी बैंड (Seismic Band) का निर्माणकार्य करवाया गया तो उसके ऊपर दोबारा डी. पी. सी. की मद पर रु० 4524/- रुपये की राशि खर्च करने की क्या आवश्यकता थी। इससे न केवल निर्माणकार्य की वास्तविक लागत में वृद्धि हुई बल्कि निर्माणकार्य की गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अतः इस मद पर [illegible] खर्च की गई राशि [illegible] स्पष्ट किया जाए अन्यथा [illegible] वसूल की जाए।

रु० भुगतान की गई राशि को दोषी से शीघ्र वसूल की जाए।

(iii) निर्माणकार्य : मुख्य आवास योजना 42 नं० गाईड [illegible], इन्दोरा (हमीरपुर)

अनुमानित कार्यमात्रा/लागत के अनुसार संविदाकार को देय भुगतान।

(क) प्रो०/लै० डी. पी. सी. 38 एम. एम. थिक विद सिमेंट कान्क्रीट 1:2:4.

कार्य मात्रा 109.06 की मी., दर 100/- रु. प्रति की मी. कुल भुगतान रु. 10,906/- रुपये

(ग) एपलाईंग द कोट आफ हीट बिटुमन :

कार्य मात्रा 109.06 की मी., दर 20/- प्रति की मी. कुल भुगतान रु. 2181/- रुपये

योग 13,087/- रुपये

संविदाकार द्वारा वास्तव में निर्माणकार्य स्थल पर निष्पादित मदें व उनकी कुल भुगतान राशि :

क्रम सं.	मद का नाम	कार्य मात्रा	दर	कुल राशि
1.	प्री/लै. सिमेन्ट कान्क्रीट 1:2:4	22.23 घनमी.	2100/- प्रति घनमी.	46,683/- रुपये
2.	सी. एम. एस. टोर स्टील बार आर. सी. सी.	2970.40 किग्रा.	21/- प्रति किग्रा.	62378/- रुपये
3.	एपलाईंग कोट आफ हीट बिटुमन	189.62 कीमी.	20/- प्रतिकीमी.	3792/- रुपये
			योग	112,853/- रुपये

अतः निर्माणकार्य की लागत में कुल रु. 99,766/- रुपये की (1,12,853-13087) राशि की वृद्धि दर्ज की गई जिसका अनुमानित लागत में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

(ख) धर्मशाला मण्डल के अन्तर्गत चल रहे निर्माणकार्यों की वास्तविक लागत बढ़ने का दूसरा कारण यह नोट किया गया कि हि० प्र० आवास बोर्ड शिमला के पत्र संख्या एच. बी. /ओ/टी-1 क्वारिज/पी. स्टील एच एस डी/जोन/98- दिनांक 16.12.98 में दर्शाई गई स्टील की मोटाई का विभिन्न निर्माणकार्यों में उपयोग न करके उससे अधिक मोटाई वाली टोर स्टील को कार्यस्थल पर प्रयोग करने से निर्माणकार्य की वास्तविक लागत में हजारों रुपये की वृद्धि दर्ज की जा रही है जिसका एक उदाहरण निम्न प्रकार से है।

(i) निर्माणकार्य : पुलिस आवास योजना - 6 नं० टाईप-2 क्वार्टर्ज- पालमपुर एवं बैजनाथ।

उपरोक्त पत्र के अनुसार सीसमिक जोन (Seismic zone) में 10 एम. एम. व्यास का टोर स्टील प्रयोग किया जाना चाहिए था जबकि बैजनाथ में विभाग द्वारा 16 एम. एम. टोर

526 (60)

स्टील प्रयोग किया गया व पालमपुर में 12 एम.एम. टोर स्टील प्रयोग किया गया जिसकी वजह से वास्तविक लागत में रु 12839/- रुपये की वृद्धि दर्ज की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

बैजनाथ : 16 एम.एम. टोर स्टील की कार्यमात्रा 587.24 मीटर प्रति विहित दर 1.58 प्रति किग्रा० की दर से कुल 927.84 कि०ग्रा० स्टील प्रयोग किया गया। अगर 10 एम.एम. टोर स्टील प्रयोग किया गया होता तो कुल किलोग्राम जो भार बनना था 587.24 x 0.62 = 364.08 कि०ग्रा०

अतः अधिक प्रयोग की गई मात्रा 927.84 − 364.08 = 563.76 कि०ग्रा०

पालमपुर : 12 एम.एम. टोर स्टील की प्रयोग की गई मात्रा 231.60 मी. कुल भार 231.60 x 0.89 = 206.12 कि०ग्राम. अगर 10 एम.एम. टोर स्टील प्रयोग किया गया होता तो कुल भार 231.60 x 0.62 = 143.59 कि०ग्राम.

अतः स्टील की अधिक प्रयोग की गई मात्रा : 206.12 − 143.59 = 62.53 कि०

बैजनाथ व पालमपुर में सिर्फ सैंक्शनिक बैंड की मद में स्टील की अधिक प्रयोग की गई मात्रा = 563.76 + 62.53 = 626.29 कि०ग्राम

अतः निर्माणकार्य की वास्तविक लागत में वृद्धि 626.29 x 20.50 प्रति कि०ग्रा० रु० = 12838.95 रुपये।

अतः यह मामला आवास बोर्ड के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान हेतु में लाया जाता है कि निर्माणकार्यों की अनुमानित लागत निर्धारित करते वक्त ~~अनावश्यक मदों को सिरक्त निरोध रूप से लागत निर्धारण में शामिल किया जाए~~ मदों की मात्रा की गणना वास्तविकता के आधार पर की जाए व एवं अनुमानित लागतों के गलत निर्धारण हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए व आवास बोर्ड द्वारा प्रेषित ड्राइंग एवं डिज़ाइन के ~~ऊपर~~ अनुसार कार्य न करने पर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों की जिम्मेवारी तय की जाए ताकि भविष्य में अनुमानित लागत व वास्तविक लागत के विचलन को कम किया जा सके और वास्तविक लागतों की बढ़ौतरी की वजह से विभिन्न विभागों से बढ़ी हुई लागत राशि को वसूलने में ~~आ रही कठिनाइयों~~ ~~से बचा जा सके~~ कठिनाइयों कोई समस्या न आए।

पैरा संख्या (22) अंकेक्षण के दौरान यह देखा गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्य यद्यपि काई वर्ष पूर्व पूर्ण किये जा चुके थे, परन्तु इन निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्तिम बिल ~~आय~~ अभी तक भी भुगतान हेतु पारित नहीं किये गये हैं। यह एक गम्भीर अनियमितता तथा लापरवाही का मामला है। क्योंकि जहाँ एक ओर इन निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख अपूर्ण थे, वहीं दूसरी ओर ऐसे निर्माण कार्यों पर हुए कुल व्यय का अनुमान लगाना सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त इन निर्माण कार्यों पर अन्तिम बिलों अनुसार व्यय (+) (–) की गई राशियों को आवास बोर्ड के अभिलेख में नहीं दर्शाया जा रहा था।

यह गम्भीर अनियमितता सचिव एवं मुख्य अभियन्ता के ध्यान में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु लाई जाती है। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या तथा वर्ष	ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध राशि	निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि।
1.	[illegible]	13 वर्ष 89-90	श्री डी.डी. जैन	[illegible].00	31-5-95
2.	पंचायत भवन [illegible]	8 वर्ष 88-89	[illegible] कुमार [illegible]	188415.00	25-11-91
3.	स्कूल भवन [illegible]	15 वर्ष 1994-95	श्री [illegible] कुमार	11,41,722.00	~~[illegible]~~ निर्माण कार्य [illegible] किया गया।

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	अनुबन्ध आदेश की तिथि	संविदाकार का नाम	अनुबन्ध की राशि	निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि
4.	10 नं० एच. आई जी फ्लैट्स, धर्मशाला, एच.एस.एस. के अन्तर्गत	11 वर्ष 88-89	मैसर्स यूनाइटेड बिल्डर	20,82,773-00	नहीं दिखाई-दे
5.	पो. एम. बी. सरोल (2-कूल भवन)	1 वर्ष 97-98	मैसर्स टिम्बर ट्रेल कान्स्ट्रक्शन,	60,79,287-00	वर्ष 98-99
6.	पो. एम. बी. सरोल (8-नं. स्टाफ क्वार्टर्स अप्पर डेर) ग्रुप – I	3 97-98	— यथोपरि —	26,31,557-00	98-99
7.	— यथोपरि — (ग्रुप – II)	2 97-98	— " —	40,79,160-00	98-99
8.	— यथोपरि — (किचन एवं डाइनिंग हॉल)	17 (वर्ष 97-98)	मैसर्स पंकज महाजन	28,58,109-00	98-99
9.	रेस्ट हाउस, धर्मशाला	1 वर्ष 1993-94	मै० कुमार एसोसिएट्स	5,69,550-00	26-6-96

पैरा सं०

(23) समायोजन वाउचर संख्या : 43 दिनांक 3/99 रु० 103485/- रुपये

श्री आर० एस० जसवाल, सहायक अभियन्ता उपमंडल धर्मशाला द्वारा कैश अग्रिम के उपरान्त समायोजन वाउचर की जांच पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई।

(क) उप वाउचर सं. 21 दिनांक 31.3.99 द्वारा रु० 19074.- रुपये का भुगतान मस्टरोल सं. 120 द्वारा किया गया व रु० 19074/- रुपये की राशि में से रु० 12038/- रुपये की राशि का खर्च निर्माण कार्य, हि०प्र० शिक्षा बोर्ड कर्मचारी आवास योजना सिद्धपुर (धर्मशाला) के सड़क निर्माण कार्य को डेबिट किया गया। इस प्रकार उप-वाउचर सं० 28 दिनांक 31.3.99 द्वारा रु० 13018/- रुपये की राशि का भुगतान मस्टरोल संख्या 278 द्वारा किया गया व रु० 8136/- रुपये की राशि का खर्चा निर्माण कार्य हि.प्र. शिक्षा बोर्ड कर्मचारी आवास योजना सिद्धपुर (धर्मशाला) के सड़क निर्माण कार्य को डेबिट किया गया। जो कि उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि हि०प्र० शिक्षा बोर्ड कर्मचारी आवास योजना सिद्धपुर (धर्मशाला) का सड़क एवं रास्ते की मैटलिंग एवं टारिंग का निर्माण कार्य ठेकेदार श्री गन्दम सिंह को अधिशासी अभियन्ता के पत्र संख्या डी.डी./एन.वी./डब्ल्यू-7/97-3036-42 दिनांक 19.9.97 द्वारा कुल राशि 3,23,321.03 रुपये के लिए आवंटित किया गया है।

अतः समायोजन वाउचर सं. 43 के द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु डेबिट किए गए कुल राशि 20,174/- रुपये के खर्चे को ठेकेदार से वसूल किया जाना चाहिए क्योंकि आवास मण्डल द्वारा ठेकेदार को आवंटित कार्य अभी तक न तो रीसाइंड किया गया है और न ही बन्द किया गया है अतः विभाग द्वारा अपने स्तर पर ~~ठेकेदार के खाते में~~ किया गया उपरोक्त व्यय की पूरी ~~खर्च~~ राशि ठेकेदार से वसूल किया जाना चाहिए। अगर ठेकेदार आवंटित कार्य को करने को तैयार नहीं था तो इस निर्माण कार्य को अभी तक रीसाइंड या बन्द क्यों नहीं किया गया। अनियमित अतः रु० 20174/- रुपये की राशि को निर्माण कार्य को डेबिट करने की पूर्ण औचित्य आदि को स्पष्ट किया जाए।

156 (64)

पैरा संख्या (24) मण्डलीय वाहन संख्या एच० पी० - 03 - 1445 की लॉग बुक की जांच के दौरान यह पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 4/98 से 3/99 के दौरान उक्त वाहन द्वारा की गई सभी यात्राओं का उद्देश्य केवल सरकारी तथा कुछ यात्राओं में मात्र कार्य की जांच दर्शाया गया है। इस प्रकार से कार्य के पूर्ण विवरण के अभाव में ऐसी सभी यात्राओं से सम्बन्धित व्यय को विभिन्न निर्माण कार्यों पर अनुमान के आधार पर डैबिट किया गया है। जबकि लॉग बुक में प्रत्येक यात्रा से सम्बन्धित किये गये कार्य के अतिरिक्त यात्रा के उद्देश्य बारे पूर्ण विवरण भरा जाना अपेक्षित था तथा तदानुसार ही प्रत्येक यात्रा से सम्बन्धित व्यय सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर डैबिट किया जाना था। यह एक गम्भीर लापरवाही तथा अनियमितता का मामला है। अतः वर्ष 1998-99 के दौरान प्रत्येक यात्रा से सम्बन्धित व्ययों व्यय को अनुमानित आधार पर विभिन्न निर्माण कार्यों पर डैबिट करने की प्रक्रिया को उचित नहीं ठहराया जा सकता तथा जिसके फलस्वरूप प्रत्येक निर्माण कार्य की सही लागत नहीं आंकी जा सकती। इस लापरवाही तथा अनियमितता के शीघ्र समाधान हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। तथा भविष्य में प्रत्येक यात्रा से सम्बन्धित विवरण लॉग बुक में शीघ्र दिये जाने के अतिरिक्त इस गलत प्रक्रिया पर रोक लगाने हेतु शीघ्र अविलम्ब प्रभावी पग उठाए जायें तथा अनुपालना अगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जाये।

पैरा संख्या (25) हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के वाहन संख्या एच०पी०-03-1445 की लॉग बुक की जांच पर पाया गया कि दिनांक 5.3.91 को वाहन को हमीरपुर से देहरा ले जाया गया दिखाया गया है यात्रा के विवरण की जांच पर पाया गया कि देहरा जाने का ~~मुख्य~~ ~~लक्ष्य~~ उद्देश्य पुलिस क्वार्टस के कार्य की जांच करना था। इस दौरान वाहन में पैट्रोल नैहरन पुखर में भरवाया गया जोकि देहरा से 6 कि० मी० आगे की ओर है जबकि हमीरपुर से देहरा के ~~बीच में चढ़ान तथा ज्वाला जी में पैट्रोल पम्प है अतः इस यात्रा का पूर्ण औचित्य देते हुए यह बताया बताया जाये कि पैट्रोल देहरा से आगे नैहरन पुखर में क्यों भरवाया गया जबकि~~ रास्ते में (ज्वालाजी) पैट्रोल पम्प मौजूद था। अतः देहरा से नैहरन पुखर एवं वापिस कुल 12 कि० मी० की इस यात्रा को प्राइवेट/अनधिकृत मान कर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से मु० 13.80 रुपये प्रति कि० मी० की आकलित दर से मु० 165.60/- रुपये की वसूली की जाये।

पैरा संख्या (26). हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के वाहन संख्या एच०पी० - 03 - 1445 की लॉग बुक के अवलोकन पर पाया गया कि मास 6/98 के अन्त में निरन्तर विवरणानुसार 22 लीटर पैट्रोल की गणना कम की गई थी। इसी प्रकार माह 3/99 में कम किए गए 25 लीटर पैट्रोल ~~माह के दौरान खरीदे गये पैट्रोल की~~ को कुल गणना में कम लिया गया था। अतः उक्त 22 लीटर + 25 लीटर = 47 लीटर पैट्रोल की कीमत दर 24.36/- रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कुल मु० 1145.00/- रुपये की राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से शीघ्र की जावे तथा अनुपालना की जांच आगामी अंकेक्षण पर करवाई जावे।

(क) माह 6/98, 22 लीटर पैट्रोल ~~मु० 536/- रुपये~~ का विवरण।

माह 5/98 का शेष	35 लीटर
माह 6/98 के दौरान खरीदा गया कुल पैट्रोल	486 लीटर
कुल पैट्रोल --	521 लीटर
माह 6/98 के दौरान खर्च दिखाया गया पैट्रोल	499 लीटर
शेष --	22 लीटर
माह 7/98 को लिया शेष उठाया गया	शून्य
कम गणना की गई	22 लीटर

(ख) माह 3/99, 25 लीटर पैट्रोल ~~मु० [illegible] रुपये~~ का विवरण।

विवरण	ली गई मात्रा	वास्तविक मात्रा	कम ली गई मात्रा
माह 2/99 का शेष	18 लीटर	18 लीटर	,,
माह 3/99 के दौरान खरीदा गया कुल पैट्रोल	520.54 "	415.54 "	25 लीटर
माह 3/99 के दौरान खर्च किया गया कुल पैट्रोल	508.54 "	508.54 "	शून्य
शेष	~~30~~ 5 लीटर	~~5~~ 30 लीटर	25 लीटर

कुल कम गणना 25 लीटर

159

(67)

पैरा संख्या (27) अंकेक्षण के दौरान यह देखा गया कि आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के अधीन कार्यरत रोड़ रोलर संख्या 22542, आवास बोर्ड मण्डल परवाणु को स्थानान्तरित कर दिया गया! अतः इस रोड़ रोलर को किस दिनांक को मण्डल धर्मशाला से परवाणु स्थानान्तरित किया गया तथा उक्त रोड रोलर स्थानातरण से पूर्व किन स्थानों पर कार्यरत था, इस बारे कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान जांच हेतु उपलब्ध नही करवाया गया तथा इस रोड़रोलर (संख्या 22542) की लॉग बुक को भी जांच हेतु उपलब्ध नही करवाया गया! उक्त रोडरोलर का मण्डल धर्मशाला से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख लॉग बुक सहित आगामी अंकेक्षण के समय जांच हेतु उपलब्ध करवाया जाये।

पैरा सं०

60 (68)

(28) आवास बोर्ड, मंडल हनुमानगढ़ की रोड रोलर संख्या 8238 की ओआर टी में समायोजन बाबत :-

(क) रोड रोलर की ओआरटी राशियों के समायोजन वाउचर की जांच पर पाया गया कि रोड रोलर की ओआरटी राशि की खर्चा जिस निर्माणकार्य को डेबिट किया गया है वह निर्माणकार्य विभाग द्वारा न करवाकर आवास मण्डल द्वारा संविदाकार से करवाया गया था/इस प्रकार रोड रोलर की ओआरटी राशि की वसूली संविदाकार से की जानी चाहिए थी। कई प्रकरणो में देखा गया कि रोड रोलर का वास्तविक में उपयोग वास्तविक कार्य सामाजिक आवास कॉलोनी या स्वयं वित्त योजना आवास बस्ती में किया गया था परन्तु रोड रोलर की ओआरटी राशि को या तो जे० एन० वी० पंचराला या मा० शिक्षा बोर्ड की आवासीय योजनाओं को डाला गया है। अतः रोड रोलर की ओआरटी राशि को उसके वास्तविक उपयोग से सम्बन्धित ~~स्कीम को क्यों नहीं डाला गया~~ निर्माणकार्य/ठेकेदार को डेबिट न करने का पूर्ण औचित्य आगामी अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाए और जो राशि संविदाकार द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों से सम्बन्धित है उसकी तुरन्त वसूली की जाए व पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए। रोड रोलर की राशि के समायोजन का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र.सं.	जे०ई० वाउचर संख्या	माह/वर्ष जिसकी ओआरटी समायोजित है	समय दिन-घंटे	दर	कुल राशि	निर्माणकार्य का नाम जिसे खर्चा डाला गया
1.	4 आर 1/99	9/95	5=15 मिनट	117.00	603.00	शुल्क बैंकरवान बस्ती के लिए सड़क निर्माण
2.	5 आर 1/99	10/95	2-45 मि०	117.00	287.00	— यथोपरि —
3.	6 आर 1/99	11/95	22=10 मि०	117.	2586.00	— यथोपरि —
4.	12 आर 1/99	1/96	12-30 मि०	117	1462.00	— यथोपरि —
			4-00 घंटे	117	468.00	स्वयं वित्त आवास योजना विद्युतीकरण निर्माण कार्य /
5.	13 आर 1/99	2/96	14-00 घंटे	117	1638.00	— यथोपरि —

161 (69)

क्रम सं०	जे०ई० आवक/चार संख्या	माह / वर्ष जिसमें आपूर्ति की गयी है	समय घंटे-मीटर	दर (रुपये)	कुल राशि रुपये	निर्माण कार्य का नाम जिसमें खर्च किया गया
6.	11 आप 1/99	3/96	2=30 मि०	117.	293=00	जे०एन०वी० पथरोला तक निर्माण कार्य।
7.	15 आप 1/99	5/96	19=00 घंटे	117.	2223=00	— यथोपरि —
8.	16 आप 1/99	6/96	12=00 घंटे	117	1404=00	— यथोपरि —
9.	17 आप 1/99	7/96	13=00 घंटे	117	1521=00	— यथोपरि —
10.	18 आप 1/99	8/96	9=00 घंटे	117.	1053=00	— यथोपरि —
11.	19 आप 1/99	9/96	7=30 मि०	117	878=00	— यथोपरि —
12.	20 आप 1/99	10/96	32=00 घंटे	117	3744=00	— यथोपरि —
13.	21 आप 1/99	11/96	30=30 मि०	117	3569=00	— यथोपरि —
14.	22 आप 1/99	12/96	19=30 मि०	117	2282=00	स्वयत: वित्त आवास योजना - बिन्द्रावन - सड़क निर्माण कार्य।
15.	23 आप 1/99	1/97	8=00 घंटे	117.	936=00	शिक्षा बोर्ड हरिशाला की आवासीय कालोनी - सड़क निर्माण कार्य चौलगाड़ी
16	24 आप 1/99	2/97	17=00 घंटे	117	1989=00	— यथोपरि —
17	25 आप 1/99	4/97	12=45 मि०	117	1492=00	— यथोपरि —
18	26 आप 1/99	5/97	51=30 मि०	117	6026=00	— यथोपरि —
19.	27 आप 1/99	6/97	59=30 मि०	117	6962=00	स्वयत: वित्त आवास योजना बिन्द्रावन - सड़क निर्माण कार्य
20	28 आप 1/99	7/97	22-15 मि०	117	2592=00	जे०एन०वी० पथरोला - सड़क निर्माण कार्य
21.	29 आप 1/99	10/97	2=30 मि०	117.	293=00	— यथोपरि —
22	30 आप 1/99	12/97	2=00 घंटे	117	234=00	स्वयत: वित्त आवास योजना बिन्द्रावन - सड़क निर्माण कार्य
23.	31 आप 1/99	1/98	18=00 घंटे	117	2106=00	— यथोपरि —
24	32 आप 1/99	2/98	27=00 घंटे	117	3159=00	जे०एन०वी० पथरोला - सड़क निर्माण कार्य।
25	33 आप 1/99	3/98	25=00 घंटे	117	2925=00	— यथोपरि —
26.	35 आप 1/99	5/98	20=00 घंटे	117	2340=00	— यथोपरि —
27	34 आप 1/99	4/98	1=30 मि०	117	176=00	स्वयत: वित्त आवास योजना बिन्द्रावन - सड़क निर्माण कार्य)
				योग	[55,241=00]	

162 (70)

अतः रोड़ रोलर की ओवर हॉलिंग राशि रु० 55241 व्ययिता का समायोजन अपेक्षित निर्माणकार्यों को डाल कर आवास [illegible] कार्यशाला द्वारा खातों में दर्शाया गया है। जोकि

(ख) उचित प्रतीत नहीं होता साथ ही इसके अतिरिक्त रोड़ रोलर को वर्ष 1995-96 से 1998-99 की अवधि तक की ओवरहॉलिंग को इतने समय के उपरान्त माह 1/99 में समायोजन करने की पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में रोड़ रोलर की ओवरहॉलिंग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के साथ-साथ अन्त तक समायोजित करने के लिए उचित पग उठाए जाएं व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए। ताकि आवास बोर्ड के प्रत्येक वर्ष के वार्षिक लेखे आवास बोर्ड की सही वित्तीय स्थिति को परिलक्षित करें।

13 (71)

पैरा संख्या (29) अंकेक्षण के दौरान ~~यह पाया गया कि~~ हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल, धर्मशाला का रोड रोलर संख्या 8238 दिनांक 14.3.99 से 22.3.99 तक उपमण्डल चम्बा में श्री रमेश सैनी { द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय } चम्बा की सड़क के निर्माण कार्य के लिए दर्शाकर देय राशि ~~के घण्टे~~ प्रयोग ~~किया गया। जिसकी~~ ~~राशि~~ का माप पुस्तिका 856/97 पृष्ठ 27 द्वारा कुल 15.30 घण्टे कार्य हेतु 220/- रु. प्रति घण्टा की दर से राशि 3366/- रु ~~हेतु प्राप्त किया दिखाया गया है~~। की वसूली की गई है।

परन्तु जांच के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 17.3.99 को कार्य के कुल घण्टों की गणना (2.45 घण्टे) की गई थी जबकि उक्त तिथि को कार्य के कुल घण्टे 3.15 बनते थे। ~~भुगतान करते समय भी कार्य के कुल घण्टे 15.30 दर्शाये गये थे तथा इसी आधार पर 15.30x220/- =3366.00 की राशि प्राप्त की गई। वास्तव में यह राशि 15.5x220/- = 3410.00/- रुपये बनती थी जोकि प्राप्त की गई राशि से 44.00/ रुपये कम थी। इस तरह से कुल 5x220=110.00+44.00 = 154.00 रुपये की कम वसूल की गई राशि की उक्त अधिकारी से शीघ्र वसूली की जाये। तथा अनुपालना की आगामी अंकेक्षण के दौरान जांच करवाई जाये।~~

इस प्रकार संविदाकार से वसूली गई 3366/- रु. की राशि की बजाए कुल 16 घण्टे कार्य हेतु 3520/- रु. की राशि वसूली जानी थी (220/- रु. प्रति घण्टा की दर से) अतः कम वसूली गई 154/- रु की राशि को दोषी से शीघ्र वसूल किया जाए।

-164- (72)

पैरा संख्या (30). स्टाफ अग्रिम रजिस्टर की जांच करनें पर पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक मास के अन्त में भारी मात्रा में स्टाफ अग्रिम की राशियाँ अपनें पास रखी गई थी। इस के अतिरिक्त प्रत्येक मास के अन्त में भारी मात्रा में राशियाँ अपनें पास रखनें के साथ-2 इन अधिकारियों/कर्मचारियों को स्टाफ अग्रिम के रूप में और राशियाँ स्वीकृत की जाती रहीं। इन अनियमितताओं के फलस्वरूप प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के पास निम्न-विवरणानुसार भारी मात्रा में राशियाँ शेष पड़ी रहीं। यह गम्भीर अनियमितता उच्च अधिकारियों के ध्यान में शीघ्र उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है। ~~जिससे कि~~ भविष्य में इस गम्भीर अनियमितता पर रोक हेतु शीघ्र उचित पग उठाए जाएं। ~~कार्यवाही की जा सके।~~

1. सहायक अभियन्ता, धर्मशाला

क्रम संख्या	मास/वर्ष	डैबिट	क्रैडिट	शेष	टिप्पणी
1	4/98	20,000-00	—	20,046-00	—
2.	5/98	70,008	81,179	8,875-00	
3.	6/98	85,000-00	—	93,875-00	
4.	7/98	45,472-00	1,07,976-00	31,371-00	
5.	8/98	3,31,488-00	2,26,920-00	1,35,939-00	
6.	9/98	—	—	1,35,939-00	
7.	10/98	3,31,488-00 3,05,275-00	67,161-00	3,74,023-00	

लगातार पृष्ठ पर

क्र.सं.	माह/वर्ष	डेबिट	क्रेडिट	शेष	टिप्पणी
8.	11/98	47,399-00	3,59,249-00	62,173-00	
9.	12/98	50,000-00	—	1,12,173-00	
10.	1/99	70,000-00	98,758-00	83,415-00	
11.	2/99	50,000-00	84497-00	48,918-00	

2. सहायक अभियन्ता, पालमपुर :-

1.	4/98	1,67,049-00	1,19,119-00	47,930-00	—
2.	5/98	94,967-00	1,05035-00	37,362-00	
3.	6/98	1,51,713-00	1,19,009-00	70,066-00	
4.	7/98	97,030-00	1,21,664-00	45,432-00	
5.	8/98	1,85,080-00	97,206-00	1,33,306-00	
6.	9/98	21,891-00	1,13,015-00	42,182-00	
7.	10/98	93,968-00	1,01,325-00	34,825-00	
8.	11/98	1,08,534-00	1,09,374-00	33,985-00	
9.	12/98	1,06,322-00	1,16,891-00	23,416-00	
10.	1/99	1,27,683-00	1,11,594-00	39,505-00	
11.	2/99	1,47,728-00	83,850-00	1,03,383-00	

3. सहायक अभियन्ता, चम्बा

1.	4/98	1,25,000-00	—	1,25,000-00	
2.	5/98	47,000-00	1,62,539-00	9,461-00	
3.	6/98	45,000-00	45,066-00	9,395-00	
4.	7/98	95,000-00	47,493-00	56,902-00	
5.	8/98	65,000-00	56,714-00	65,188-00	
6.	9/98	—	55,212-00	10,276-00	

लगातार पृष्ठ पर

क्रम संख्या	मास/वर्ष	डैबिट	क्रैडिट	शेष
7.	10/98	50,000-00	50,433-00	9843-00
8.	11/98	50,000-00	58,809-00	1,034-00
9.	12/98	70,000-00	64,871-00	6,163-00
10	1/99	60,000-00	49,627-00	16,536-00
11	2/99	50,000-00	49,365-00	17,171-00

4. कनिष्ठ अभियन्ता, श्री बी० के० कायस्था

				13-00
1.	10/98	19,000-00	—	19,013-00
2.	11/98	12000-00	—	31,013-00
3.	12/98	17,000-00	23,871-00	24,142-00
4.	1/99	19,000-00	—	43,142-00
5.	2/99	20,000-00	23,984-00	39,158-00
6.	3/99	40,000-00	39,103-00	40,055-00

5. श्री प्रकाश चन्द, ड्राईवर

				37,145-00
1.	4/98	10,000-00	—	47,145-00
2.	5/98	3,000-00	24,934-00	25,211-00
3.	6/98	500-00	8,558-00	17,153-00
4.	7/98	6,500-00	—	23,653-00
5.	8/98	2,000-00	230-00	25,423-00
6.	9/98	—	—	25,423-00
7.	10/98	1000-00	155-00	26,268-00
8.	11/98	—	4,620-00	21,648-00
9.	12/98	—	15,040-00	6,608-00
10.	1/99	—	—	6,608-00

लगातार पृष्ठ पर

क्रम संख्या	माह/वर्ष	डैबिट	क्रैडिट	शेष

6. कनिष्ठ अभियन्ता, श्री टी० एन० भारद्वाज

1.	5/98	3,000-00	—	3,000-00
2.	6/98	—	—	3,000-00
3.	7/98	—	—	3,000-00
4.	8/98	5,000-00	5,000-00	3,000-00
5.	9/98	—	—	3,000-00
6.	10/98	—	—	3,000-00
7.	11/98	—	—	3,000-00
8.	12/98	—	—	3,000-00
9.	1/99	—	—	3,000-00
10	2/99	—	—	3,000-00

7. कनिष्ठ अभियन्ता, श्री एच० एल० धीमान

1.	8/98	4,000-00	—	10-00 4,010-00
2.	9/98	—	—	4,010-00
3.	10/98	—	—	4,010-00
4.	11/98	8,000-00	—	12,010-00
5.	12/98	—	—	12,010-00
6.	1/99	—	—	12,010-00
7.	2/99	—	—	12,010-00

पैरा संख्या (31) अंकेक्षण के दौरान यह देखा गया कि ~~प्रकाश में आया है कि~~ सहायक अभियन्ता द्वारा किये गये दूरभाष के बिलों की ~~एच. आर~~ रसीदी प्राप्ति रसीदों को स्वयं सहायक अभियन्ता द्वारा भुगतान हेतु पारित किया गया है जबकि नियमानुसार इन ~~एच० आर~~ रसीदी प्राप्ति रसीदों को अधिशासी अभियन्ता द्वारा पारित किया जाना अपेक्षित था/ किस अधिकार पत्र के आधार पर ~~अधि~~ सहायक अभियन्ता द्वारा स्वयं के दूरभाष बिलों की ~~एच० आर~~ रसीदी प्राप्ती रसीदों को भुगतान हेतु पारित किया गया है अंकेक्षण के दौरान ~~समक्ष~~ जांच के लिए उपलब्ध नहीं करवाया गया! जिन दूरभाष बिलों की ~~एच० आर०~~ रसीदी प्राप्ति रसीदों को सहायक अभियन्ता द्वारा स्वयं भुगतान हेतु पारित किया गया है उनमें से कुछ का प्रमाण स्वरूप विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	माह	भुगतान का विवरण	राशि	जिसे भुगतान किया गया	टिप्पणी
1.	35.	9.3.99	दूरभाष भुगतान बिल	99-00	श्री जे. आर. कपूर	श्री जे. आर. कपूर (स. अ.) द्वारा स्वयं के दूरभाष बिलों की एच. आर. को स्वयं पारित किया गया है।
2.	36.	9.3.99	—यथोपरि—	126-00	—यथोपरि	यथोपरि—
3.	37	9.3.99	—,,—	138-00	—,,—	—,,—
4.	40	23.3.99	—,,—	123-00	—,,—	—,,—
5.	50.	30.3.99	—,,—	141-00	—,,—	—,,—

अतः ~~अंकेक्षण में इस प्रकार की एच० आर०~~ उपरोक्त रसीदी प्राप्तिरसीदों को अधिशासी अभियन्ता से पारित करवाया जावे अथवा उस अधिकार पत्र को अंकेक्षण के ~~समक्ष दिखाया~~ दौरान प्रस्तुत किया जावे जिसके अन्तर्गत सहायक अभियन्ता को स्वयं के दूरभाष बिलों को पारित करने के अधिकार दिये गये हैं।

पैरा संख्या 32(क) हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड उप-मण्डल पालमपुर के चारकोल रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 11/12/98 को 6: क्विंटल चारकोल मैसर्ज राकेश पटियाल से 610-00/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से मु० 3,660-00/- रुपये में खरीदा गया। इस 6: क्विंटल चारकोल को अधिकारियों व कर्मचारियों को दिनवार जारी किया गया दिखाया गया है। अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि उक्त चारकोल अधिकारियों व कर्मचारियों को अनुमान के आधार पर जारी किया गया है जिससे चारकोल का दुरुपयोग किया गया प्रतीत होता है क्योंकि जिस दिन अधिकारी/कर्मचारी छुट्टी/यात्रा पर थे उस दिन भी उनको रजिस्टर पर चारकोल जारी किया गया दिखाया गया है। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को छुट्टी अथवा यात्रा दिवस के दिन चारकोल जारी किया दिखाया गया है उनमें से कुछ का प्रमाण स्वरूप विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रम संख्या	जारी करने की तिथि	नाम	पद	जारी की गई मात्रा	मूल्य	टिप्पणी
1.	8.1.99	श्री [illegible] कुमार	स० अभियन्ता	2 किलो	12-20	8.1.99 को उक्त अधिकारी यात्रा पर था
2.	15,16.1.99	—— यथोपरि ——	"	4 "	24-40	—— यथोपरि ——
3.	19.1.99	—— " ——	"	2 "	12-20	—— " ——
4.	21,22.1.99	—— " ——	"	4 "	24-40	—— " ——
5.	28.1.99	—— " ——	"	2 "	12-20	—— " ——
6.	1.2.99	श्री [illegible]	[illegible]	2 "	12-20	उक्त तिथि को कर्मचारी यात्रा पर था
7.	1.2.99	—— यथोपरि ——	"	2 "	12-20	—— यथोपरि ——

अतः चारकोल जारी करने से सम्बन्धित वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया जाये तथा दुरुपयोग किये गये चारकोल की अनुमानित राशि की [illegible] वित्तीय आधार पर [illegible] गणना कर के दोषी अधिकारी/कर्मचारी से इसकी वसूली की जाये। तथा अनुपालना की आगामी अंकेक्षण पर जांच कारवाई जाये।

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड उप-मण्डल, चम्बा के चारकोल रजिस्टर की जांच पर पाया गया कि दिनांक-15.3.99 को चारकोल का अन्तशेष 300 किलो दिखाया गया है जबकि उक्त तिथि को चारकोल का अन्तशेष 340 किलो बनता है क्योंकि 12.12.98 को कोयले (चारकोल) का अन्तशेष 544 किलो था। तथा 13.12.98 को 4 किलो चारकोल कार्यालय प्रयोग हेतु जारी किया गया जिसके पश्चात चारकोल का अन्तशेष 540 किलो रहना चाहिए था जबकि रजिस्टर पर अन्तशेष 500 किलो दर्शाया गया था। अतः 40 किलो कम चारकोल की गणना बारे जांच पड़ताल की जाए तथा वस्तु स्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाये। अन्यथा दोषी कर्मचारी से 40 किलो-चारकोल की 485 रुपये प्रति क्विंटल (खरीद मूल्य) की दर से मु० 194/- रुपये की वसूली की जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

171

पैरा संख्या (33) अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि हि० प्र० आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के अधिशाषी अभियन्ताओं की दिनांक 22.11.95 को हुई बैठक / मीटिंग में निविदा फार्मों के विक्रय हेतु निर्धारित दरों पर बेचनें के स्थान पर कम दरों पर निविदा फार्मों की बिक्री की जा रही थी। इस अनियमितता के कारण आवास बोर्ड को निम्न विवरणानुसार कुल मु० 1,200-00/- रूपये की राशि की हानि हुई। इस कम वसूल की गई राशि की सम्बन्धित संविदाकारों से अथवा दोषी कर्मचारी से शीघ्र वसूली की जाये तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाये।

क्रम संख्या	निविदा खोलने की तिथि	निर्माण कार्य का नाम / रसीद संख्या	अनुमानित लागत	जिस दर पर निविदा फार्म बेचे गए	निविदा फार्म बेचनें की वास्तविक दर	कम वसूल की गई राशि	संविदाकार का नाम।
1.	15.5.98	जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला रसीद संख्या 048380	4,63,919-00	200-00	250-00	50-00	श्री रमेश गुलेरिया
				200-00	250-00	50-00	इन्दर० कोओ लेबर एण्ड कान्स्ट्रक्सन सोसाइटी, दाड़ी धर्मशाला,
				200-00	250-00	50-00	श्री० राजेश शर्मा,
				200-00	250-00	50-00	" अजय अबरोल,
				200-00	250-00	50-00	" विकास परमार
				200-00	250-00	50-00	" संजय परमार,
				200-00	250-00	50-00	" पवन कुमार,
2.	24.7.98	पुलिस आवास योजना द्वारा 6 न० टाईप-I क्वार्टस, धर्मशाला रसीद संख्या 048527	4,80,505-00	200-00	250-00	50-00	श्री एम० के० ठाकुर,
				200-00	250-00	50-00	" संजय सोनी
				200-00	250-00	50-00	" रमेश गुलेरिया,
				200-00	250-00	50-00	" सन्दीप राना,
3.	20.8.98	पुलिस आवास योजना द्वारा 2 न० टाईप-I क्वार्टस, कांगड़ा व शाहपुर, रसीद संख्या-048527	3,52,125-00	200-00	250-00	50-00	श्री संजीव कुमार,
				200-00	250-00	50-00	" एम० के० ठाकुर,

4.	21.8.98	पुलिस आवास योजना द्वारा 14 नं० टाईप – I क्वार्टस, जम्मा गांव रसीद संख्या- 048537	305,870.00	200.00	250.00	50.00	श्री जे० सी० कौशल
5.	18.9.98	पुलिस आवास योजना द्वारा 2 नं० टाईप – I क्वार्टस, चवाड़ी रसीद संख्या- 99278	1,59,429.00	200.00	250.00	50.00	श्री रमन कुमार माहाजन
				200.00	250.00	50.00	" विजय कुमार माहाजन
6.	22.9.98	पुलिस आवास योजना द्वारा 2 नं० टाईप – I क्वार्टस, सलूनी (चम्बा) रसीद संख्या- 99280	2,49,600.00	200.00	250.00	50.00	श्री भीम सैन
				200.00	250.00	50.00	" नरेन्द्र सिंह
7.	22.9.98	पुलिस आवास योजना द्वारा 2 नं० टाईप – I क्वार्टस, तीसा, (चम्बा) रसीद संख्या- 99280	174,336	200.00	250.00	50.00	श्री भीम सैन
				200.00	250.00	50.00	" नरेन्द्र सिंह
8.	22.9.98	पुलिस आवास योजना द्वारा 2 नं० टाईप – I क्वार्टस, किहार (चम्बा) रसीद संख्या- 99280	1,74,336.00	200.00	250.00	50.00	श्री भीम सैन
				200.00	250.00	50.00	" नरेन्द्र कुमार
9.	22.9.98	पुलिस आवास योजना द्वारा 2 नं० टाईप – I क्वार्टस - पांगी जि० - चम्बा रसीद संख्या- 99280	174336.00	200.00	250.00	50.00	श्री नरेन्द्र कुमार
				200.00	250.00	50.00	" भीम सैन
		कुल योग		4,800.00	6000.00	1200.00	

कुल कम वसूल राशि रु० 1,200.00/-
(एक हजार दो सौ रुपये मात्र)

~~दूरभाष संख्या 21018 के दूरभाष बिल~~ :- ~~123~~

1\. पैरा संख्या (34). अधिशाषी अभियन्ता (Executive Engineer) के आवास पर लगाए गये दूरभाष ~~के~~ संख्या 21018 के रजिस्टर में दर्ज बिलों की जांच पर पाया गया कि वर्ष 1998-99 में दूरभाष बिलों के भुगतानों ~~में~~ में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रम संख्या	समायोजन वाउचर संख्या	दिनांक	अवधि		कुल भुगतान	निर्धारित सीमा से अधिक अ. अभियन्ता की ओर से जमा	विभाग आवास मण्डल धर्मशाला द्वारा भुगतान की गई कुल राशि
1.	18	5.5.98	16.1.98	15.3.98	2256-00	—	2256-00
2.	69	25.6.98	16.3.98	15.5.98	8,088-00	1,400-00	6688-00
3.	—	—	16.5.98	15.7.98	8,014-00	850-00	7164-00
4.	74	24.10.98	16.7.98	15.9.98	998-00	—	998-00
5.	96	24.12.98	16.9.98	15.11.98	6,212/- (6212)-00	1,500-00	4712-00
6.	83	16.2.99	16.11.98	15.1.99	7,350-00	2,000-00	5350-00
7.	18	13.4.99	16.1.99	15.3.99	7337-00	1,700-00	5637-00
					40,255-00	7,450-00	32,805-00

अतः वर्ष 1998-99 में आवास मण्डल धर्मशाला द्वारा अधिशाषी अभियन्ता के आवास में उपलब्ध करवाई गई दूरभाष सुविधा पर कुल राशि रु० 32,805/- रुपये का खर्च वहन किया। पूर्व वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष दूरभाष संख्या 21018 के खर्च में अत्याधिक वृद्धि दर्ज की गई क्योंकि वर्ष 1996-97 में मात्र 2404/- रुपये और वर्ष 1997-98 में दूरभाष पर आया खर्च मात्र 5032/- रुपये था। दूरभाष के खर्च में आई वृद्धि के कारणों की ~~जांच करने~~ बारे पूछे बताया ~~पर पाया~~ गया कि आवास बोर्ड शिमला द्वारा आवास मण्डल धर्मशाला के आवास में दूरभाष सुविधा की मंजूरी हि० प्र० आवास बोर्ड शिमला के कार्यालय आदेश संख्या एच. बी./6-8/92-एडमिन-II

दिनांक 28-5-1994 द्वारा इस शर्त पर दी थी कि अधिशाषी अभियन्ता के आवास में लगने वाले दूरभाष में एस॰ टी॰ डी॰ की सुविधा देय नहीं होगी। परन्तु दूरभाष के उपरोक्त बिलों की जाँच पर पाया गया कि अधिशाषी अभियन्ता द्वारा आवास में उपलब्ध दूरभाष पर एस॰ टी॰ डी॰ की सुविधा का लाभ उठाया जा रहा है जबकि उपरोक्त सुविधा बारे सक्षम अधिकारी का कोई आदेशपत्र अंकेक्षण के दौरान नहीं दिखाया गया। अतः अधिशाषी अभियन्ता के आवास में एस॰ टी॰ डी॰ सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने बारे पूर्ण जाँच की जाए और वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए क्योंकि दूरभाष खर्चे में और अत्याधिक वृद्धि के कारण दूरभाष की एस॰ टी॰ डी॰ सुविधा के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

वर्ष 1998-99 में दूरभाष संख्या 21018 पर कुल खर्च राशि रु॰ 40,255/- का भुगतान किया गया जिसमें से राशि रु॰ 7450/- रुपये का खर्च अधिशाषी अभियन्ता श्री आर॰ सी॰ गुप्ता द्वारा मिश्रित अग्रिम (Misc. Advance of Sh. R. C. Gupta) के रूप में वहन किया। आवास मण्डल धर्मशाला द्वारा अंकेक्षण को राशि रु॰ 7450/- रुपये के खर्चे को अधिशाषी अभियन्ता द्वारा निजि तौर पर वहन करने बारे कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आवासीय दूरभाष सुविधा के दुरुपयोग की जाँच ~~करें यह की~~ जाए आवश्यक ~~है कि~~ कि दूरसंचार विभाग से उपरोक्त सभी बिलों की ~~स्टेटमेंट~~ विस्तृत विवरण मंगवाया जाए ~~विस्तृत जाँच की आवश्यकता~~ और कि काल-काल

आवासीय दूरभाष सुविधा का कार्यालय सम्बन्धी
उपयोग किया गया और कब-कब निजि तौर
पर उपयोग किया गया है। जितनी राशि की दूरभाष
सुविधा का निजी कार्य हेतु उपयोग किया गया
पाया जाता है केवल उतनी ही राशि की वसूली
अधिशासी अभियन्ता श्री आर. सी. गुप्ता से की जावे
और अधिक या कम वसूली की गई राशि का समायोजन
कर लिया जावे व अनुपालना आगामी अंकेक्षण
में दिखाई जावे।

वेतन Pay 7)

रा। आर.)

प्र० सं०

(35) गलत वेतन एवं वेतन निर्धारण के फलस्वरूप राशि रु०25,251/-रुपये का अधिक भुगतान :→

(क) श्री हजारा सिंह (कनिष्ठ प्रारूपकार) के गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप राशि 25000/- रुपये का वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक भुगतान :-

श्री हजारा सिंह (कनिष्ठ प्रारूपकार) की सेवा पुस्तिका की जाँच के दौरान पाया गया कि वेतनमान 4020-6200 में माह जून, 1998 में वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान कर मूल वेतन 8375/- रुपये निर्धारित किया गया है। हि०प्र० आवास बोर्ड शिमला के पत्र संख्या एच. बी.-5-146/98-एती दिनांक 24.11.98 द्वारा वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में हि०प्र० सरकार का स्पष्टीकरण पत्र संख्या: वित्त (पी० आर०) बी (7)-2/98 दिनांक 7-11-98 प्रेषित किया गया जिसके प्रश्न संख्या एक में जो वेतन निर्धारण का तरीका बताया गया है उसके अनुसार श्री हजारा सिंह का वेतन निर्धारण दिनांक 1-1-1996 से निम्न प्रकार किया जाना अपेक्षित था।

(i)	मूल वेतन दिनांक 1.1.96	— रु० 2510.00 रुपये
(ii)	महंगाई भत्ता	रु० 3715.00 "
(iii)	अन्तरिम राहत I व II (150+251)	रु० 401.00 "
(iv)	जमा मूल वेतन का 40%	रु० 1004.00 "
		योग रु० 7630.00 रु०

V संशोधित वेतनमान 4020-6200 रु० में :-

मूल वेतन, दिनांक	1.1.1996	— रु० 6200+1430 (निजी वेतन P. Pay)
दिनांक	1.6.1996	— रु० 6400+1230 (P. Pay)
दिनांक	1.6.1997	— रु० 6600+1030 "
दिनांक	1.6.1998	— रु० 6800+830 "
दिनांक	1.6.1999	— रु० 7000+630 "
दिनांक	1.6.2000	रु० 7220+410 "

जबकि हि०प्र० आवास बोर्ड द्वारा श्री हजारा सिंह (कनिष्ठ प्रारूपकार) का वेतन निर्धारण करते समय हि०प्र० वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या : वित्त (पी०आर०)

127 (85)

बी (1) -- 1198 दिनांक 20.1.98 के नियम 7 के प्रोविसो (बी) को ध्यान में न रख कर गलत प्रकार से वेतन निर्धारण किया गया जोकि गलत था।

(V) संशोधित वेतनमान 4020-6200 में
मूल वेतन, दिनांक 1.1.1996 — रु० 7660.00 रुपये
दिनांक 1.6.1996 — रु० 7880. रुपये
दिनांक 1.6.1997 — रु० 8100. "
दिनांक 1.6.1998 — रु० 8375. "
दिनांक 1.6.1999 — रु० 8650. "

अतः उक्त अनियमितता के कारण दिनांक 31-8-1999 तक श्री हजारा सिंह, कनिष्ठ लिपिक को निम्न विवरणानुसार रु० 25000/- रुपये की राशि का अधिक भुगतान किया जा चुका था।

अवधि	"दत्त राशि" मूल वेतन	महगाई भत्ता	योग	"देय राशि" मूल वेतन	महगाई भत्ता	योग	अधिक भुगतान की गई राशि रु०
1.1.96 से 31.5.96	7660	शून्य	7660	6200+1430	शून्य	7630.	30x5 = 150.00
1.6.96	7880	"	7880	7630 (6400+1230)	"	7630.	250x1 = 250.00
1.7.96 से 31.12.96	7880	315	8195	7630	305	7935.	260x6 = 1560.00
1.1.97 से 31.5.97	7880	630	8510	7630	610	8240	270x5 = 1350.00
1.6.97	8100	648	8748	7630 (6600+1030)	610	8240	508x1 = 508.00
1.7.97 से 31.12.97	8100	1053	9153	7630	992	8622	531x6 = 3186.00
1.1.98 से 31.5.98	8100	1296	9396	7630	1221	8851	545x5 = 2725. "
1.6.98	8375	1340	9715	7630 (6800+830)	1221	8851	864x1 = 864. "
1.7.98 से 31.12.98	8375	1843	10218	7630	1679	9309	909x6 = 5454. "
1.1.99 से 31.5.99	8375	2680	11055	7630	2442	10072.	983x5 = 4915. "
1.6.99 से 31.8.99 तक	8650	2768	11418	7630 (7000+630)	2442	10072	1346x3 = 4038.00
						कुल योग रु०	25000/- रुपये

अतः इस प्रकार अधिक भुगतान की गई राशि रु० 25000/- रुपये दिनांक 31.8.99 तक की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से शीघ्र की जाये व इसके अतिरिक्त श्री हजारा सिंह को देय वेतन एवं भत्तों को दिनांक 1.9.99 से सही दर से आहरण करना भी सुनिश्चित किया जाए। अंकित रु० 25000/- रुपये की राशि पर ब्याज [illegible] आहरण एवं वितरण अधिकारी [illegible] की जाये।

(ख) श्री जवाहरी लाल (वरि० वाणि० सुपरवाईजर) को गलत वेतनवृद्धि दर से भुगतान के फलस्वरूप राशि 251/- रुपये का वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक भुगतान :-

श्री जवाहरी लाल की सेवा पंजिका की जांच पर पाया गया कि माह अप्रैल, 1998 में वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान कर मूलवेतन 4860/- रुपये निर्धारित किया गया तदोपरान्त माह अप्रैल, 1999 में देय वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान कर मूलवेतन 5020/- रुपये निर्धारित किया गया है जोकि गलत है। वेतन वृद्धि की सही दर प्रदान करने के बाद श्री जवाहरी लाल का मूल वेतन निम्नप्रकार से निर्धारित किया जाना चाहिए था।

दिनांक 1.4.97 को मूल वेतन — रु० 4700/- रुपये
वेतन वृद्धि के उपरान्त मूल वेतन
दिनांक 1.4.98 — रु० 4850/- रुपये
दिनांक 1.4.99 — रु० 5000/- रुपये
दिनांक 1.4.2000 — रु० 5160/- रुपये

अतः वेतन वृद्धि की गलत दर प्रदान करके श्री जवाहरी लाल (वरि-वाणि सुपरवाईजर) को दिनांक 1.7.1999 तक राशि रु० 251/- रुपये का अधिक निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली तुरन्त की जाए व अनुपालना अगले अंकेक्षण में दिखलाई जाए।

अवधि	दत्त राशि: मूल वेतन	दत्त राशि: महंगाई भत्ता	दत्त राशि: योग	देय राशि: मूल वेतन	देय राशि: महंगाई भत्ता	देय राशि: योग	अधिक भुगतान की गई राशि रु०
1.4.98 से 30.6.98	4860	778	5638.	4850	776	5626	12×3 = 36.00 रुपये
1.7.98 से 31.12.98	4860	1069	5929.	4850	1067	5917	12×6 = 72.00 रुपये
1.1.99 से 31.3.99	4860	1555	6415.	4850	1552	6402	13×3 = 39.00 "
1.4.99 से 31.7.99	5020	1606	6626	5000	1600	6600	26×4 = 104.00 "
							कुल योग रु० 251.00 रुपये

[illegible] अधिक भुगतान [illegible] श्री जवाहरी [illegible] वसूली [illegible] जाए।

(ग) श्री हजारा सिंह (वरिष्ठ पत्रवाहक) की सेवा पंजिका में दर्ज अर्जित अवकाश व अर्धवेतन अवकाश की देय एवं व्यतीत की गई अवधि के उपरान्त अन्तशेषों की जांच पर पाया गया कि दिनांक 31.10.94 से 11.11.94 तक के परिवर्तित अवकाश की कुल अवधि 24 दिन को अन्तशेष से नहीं घटाया गया था व अर्धवेतन अवकाश का खाता सेवा पंजिका में निम्नप्रकार से दिखाया गया है।

अवधि	अर्धवेतन अवकाश देय	अर्धवेतन अवकाश शेष	अर्धवेतन अवकाश व्यतीत करने का विवरण	अन्तशेष
दिनांक 30.6.94			—	31 दिन
1.7.94 से 31.12.94	10 दिन	41 दिन	31.10.94 से 11.11.94 तक 12 दिन (डेबिट 24 दिन)	41 दिन
1.1.95 से 30.6.95	10 दिन	31 दिन	23.2.95 से 25.2.95 तक 3 दिन (डेबिट 6 दिन)	45 दिन
1.7.95 से 31.12.95	10 दिन	55 दिन	10.11.95 से 2.12.95 तक 23 दिन (डेबिट 46 दिन)	9 दिन
1.1.96 से 30.6.96	10 दिन	19 दिन	12.2.96 से 20.2.96 तक 9 दिन (डेबिट 18 दिन)	1 दिन

अगर श्री हजारा सिंह (वरिष्ठ पत्रवाहक) द्वारा व्यतीत की गई 12 दिन के परिवर्तित अवकाश की अवधि को अर्धवेतन अवकाश खाते से घटाया जाए तो अर्धवेतन अवकाश खाता निम्नप्रकार से अन्तशेष दिखाएगा।

अवधि	अर्धवेतन अवकाश देय	अर्धवेतन अवकाश शेष	अर्धवेतन अवकाश व्यतीत करने का विवरण	अन्तशेष
दिनांक 30.6.94 को अन्तशेष			—	31 दिन
1.7.94 से 31.12.94	10 दिन	41 दिन	31.10.94 से 11.11.94 तक 12 दिन (डेबिट 24 दिन)	17 दिन
1.1.95 से 30.6.95	10 दिन	27 दिन	23.2.95 से 25.2.95 तक 3 दिन (डेबिट 6 दिन)	21 दिन
1.7.95 से 31.12.95	10 दिन	31 दिन	10.11.95 से 2.12.95 तक 23 दिन (डेबिट 46 दिन)	− 15 दिन
1.1.96 से 30.6.96	10 दिन	−5 दिन	12.2.96 से 20.2.96 तक 9 दिन (डेबिट 18 दिन)	− 23 दिन

अतः दिनांक 20.2.96 को श्री हजारा सिंह की अर्धवेतन अवकाश खाते में अन्तशेष (−) 23 दिन बनता है। यह [illegible] अनियमितता है। अतः उक्त दिनांक 20.2.96

को खाते में (-)23 दिन के अर्धवेतन अवकाश को
नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर
नियमित करवाया जावे। अगर (-)23 दिन के अर्धवेतन
अवकाश के स्थान पर अब अवैतनिक अवकाश स्वीकृत
स्वीकृत किया जाता है तो श्री हजारा सिंह को उतनी अवधि
के भुगतान किए गये वेतन एवं भत्तों की राशि को
वसूल किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण
में दिखलाई जावे।

परीक्षा संख्या (36)! निम्नलिखित कर्मचारियों के यात्रा भत्ता बिलों की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि इन कर्मचारियों को यात्रा भत्ता दावा बिलों का भुगतान करने से पूर्व इनके द्वारा की गई यात्राओं ~~के~~ कार्यक्रमों को वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। जांच परीक्षण के दौरान पाया गया कि यह परम्परा पिछले कई वर्षों से चल रही है! जोकि नियमों के विरुद्ध है। ~~इस~~ ~~गम्भीर~~ यह अनियमितता ~~की~~ ~~स्थिति~~ ~~को~~ बोर्ड के अधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लायी जाती है! जिन कर्मचारियों के यात्रा कार्यक्रमों को अनुमोदित किये बिना यात्रा भत्ता दावों का भुगतान किया गया उनमें से कुछ का प्रमाण स्वरूप विवरण निम्न प्रकार है! —

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	मास	भुगतान का विवरण	भुगतान की राशि	किसे भुगतान किया गया	टिप्पणी
1.	6 / 6.3.99	1/99	यात्रा भत्ता	226-00	श्री तिवारी [illegible]	अनुमोदित यात्रा कार्यक्रम नहीं दर्शाया गया
2.	7 / 6.3.99	1/99	— यथोपरि	264-00	श्री [illegible]	— यथोपरि —
3.	17 / 9.3.99	12/98	— " —	260-00	श्री एस॰ आर॰ शर्मा	— " —
4.	38 / 18.3.99	12/98	— " —	96-00	श्री [illegible]	— " —

कुल 182/-

5.	60 / 26.3.99	2/99	यात्रा भत्ता	56-00 श्री भगतराम बेलदार	—	"	—
6.	63 / 26.3.99	2/99	— यथोपरि —	113-00 श्री कुलबीर सिंह	—	"	—

क्र.

अतः भविष्य में यात्रा भत्ता दावा बिलों का भुगतान करने से पूर्व सम्बन्धित कर्मचारियों की द्वारा की गई यात्राओं के सम्बन्धित भ्रमण कार्यक्रमों को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

पैरा संख्या (37) समाचार पत्रों की खरीद / नीलामी बारे।

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि आवास मण्डल धर्मशाला द्वारा निम्न विवरणानुसार दिनांक 11.3.99 को मैसर्ज राधा कृष्णा एण्ड सन्ज, धर्मशाला को रु 304-00/- रुपये की राशि का भुगतान समाचार पत्रों के बिलों के रूप में किया गया है। परन्तु अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत की गई समाचार पत्र प्राप्ति पंजिका की जांच पर पाया गया कि उक्त पंजिका पर समाचार पत्रों की प्राप्ति को दर्ज नहीं किया गया है। ~~क्या वास्तव में समाचार पत्रों को कार्यालय द्वारा प्राप्त~~ किया गया है अथवा नहीं, यह स्थिति ~~सन्देह उत्पन्न करती है~~। अतः समाचार पत्रों के क्रय पर ~~खर्च~~ किये गये खर्चों को बिना किसी उचित अभिलेख के सही करार नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा जांच पड़ताल के दौरान यह भी ध्यान में आया है कि पिछले कई वर्षों से समाचार पत्रों की रद्दी की नीलामी नहीं की गई। ~~जोकि उक्त अनियमितता का~~ द्योतक है। अतः प्रतिदिन प्राप्त किये गये समाचार पत्रों को मूल्य सहित समाचार पत्र प्राप्ति पंजिका पर दर्ज किया जाए ~~तथा सुनिश्चित~~ किया जाये तथा

तथा समय-2 पर समाचार पत्रों की रद्दी की निलामी की जावे तथा पिछले कई वर्षों से जमा रद्दी की विभागीय तौर पर शीघ्र निलामी की जावे तथा अनुपालना की जांच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जावे।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या	दिनांक	माह	राशि	टिप्पणी
1.	67	11.3.99	8/98	62-00	मै० रामा कृष्णा एण्ड सन्स, धर्मशाला,
2.	68	"	9/98	60-00	— यथोपरि —
3.	69	"	10/98	60-00	— " —
4.	70	"	11/98	60-00	— " —
5.	71	"	12/98	62-00	— " —
				304-00	

पैरा संख्या (38). हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के विश्राम गृह की यात्री पंजिका की जांच के दौरान यह पाया गया कि विश्राम गृह में ठहरने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम के साथ उनका पद व पत्ता नहीं लिखा गया है जिससे ~~कि~~ यह पता लगाना कठिन है कि उक्त व्यक्ति वास्तव में सरकारी कर्मचारी/अधिकारी है अथवा नहीं; क्योंकि अंकेक्षण के दौरान ऐसे अनेक मामले प्रकाश में आए हैं जहाँ पर व्यक्ति के नाम के साथ उसका पद व पता नहीं लिखा गया है। तथा उसकी यात्रा के उद्देश्य को सरकारी मान कर उससे सरकारी दर पर विश्राम गृह शुल्क की वसूली की गई है। जोकि नियमों के विपरीत है। जिन व्यक्तियों के नाम के साथ पद व पत्ता यात्री पंजिका पर दर्ज नहीं किया गया है उनमें से कुछ का प्रमाणस्वरूप विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रम संख्या	नाम	कुल सदस्य	यात्रा का उद्देश्य	आना दिनांक	आना समय	जाना दिनांक	जाना समय	वसूल की गई राशि	टिप्पणी
1.	श्री वी. एल. रैना	2	सरकारी	14-6-98	4. PM	16-6-98	8. PM	30-00	नाम के साथ पद व पता नहीं लिखा गया है।
2.	" राकेश शर्मा	1	"	22-8-98	2 बजे	23-8-98	9 बजे	17-00	— यथोपरि —
3.	" एस. के. शर्मा	—	"	22-2-99	9 बजे	24-2-99	9 बजे	34-00	— यथोपरि —

1
—
2

अतः इस प्रकार की अनियमितता को भविष्य में न दोहराया जाये। तथा कर्मचारियों/अधिकारियों के नामों के साथ पद व पता लिखा जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि यात्रा के उद्देश्य को प्रमाणित ठहराया जा सके।

पैरा संख्या (39) हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला, के विश्राम गृह की यात्री पंजिका के अवलोकन पर पाया गया कि विश्राम गृह में ठहरनें वाले समस्त व्यक्तियों की यात्रा के उद्देश्य को मात्र सरकारी बताया गया है। जो व्यक्ति/कर्मचारी छुट्टी के दौरान विश्राम गृह में ठहरे हैं उन्हें भी यात्री पंजिका पर 'सरकारी' दर्शाया गया है। हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड विश्राम गृह पर हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह के नियम लागू माने गये हैं। उपरोक्त नियमानुसार छुट्टी के दिन विश्राम गृह में ठहरनें वाले कर्मचारी के ठहरनें के उद्देश्य को सरकारी नहीं माना जा सकता। जांच परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कुछ कर्मचारियों का छुट्टी के दौरान ठहरनें का उद्देश्य सरकारी दिखाया गया है तथा इन से सरकारी दर पर विश्राम गृह के शुल्क वसूल किये गये हैं। जोकि एक अनियमितता का मामला है जिन कर्मचारियों का छुट्टी के दौरान सरकारी दिखाया गया है उनका विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम संख्या	व्यक्ति/कर्मचारी का नाम व पता	ठहरनें की अवधि	वसूल की गई राशि	वास्तविक राशि	टिप्पणी
1.	श्री डी॰ आर॰ भाटिया ड्राफ्ट मैन आवास बोर्ड मण्डल-शिमला,	5.7.98 से 6.7.98	17-00	250-00	उक्त कर्मचारी 5.7.98 को छुट्टी पर था।
2.	श्री शिव राम (वरिष्ठ सहायक)	9.12.98 से 10.12.98	34-00	500-00	उक्त कर्मचारी 9.12.98 को छुट्टी पर था।
3.	श्री एस॰ पी॰ भाटी,	21.6.98 से 23.6.98	34-00	500-00	उक्त व्यक्ति के ठहराव को पंजिका पर व्यक्तिगत दर्शाया गया है।
4.	श्री बाल॰ प्रभाकर राव	23.12.98 से 24.12.98	17-00	250-00	ठहराव को व्यक्तिगत दिखाया गया है।
	कुल		102-00	1500-00	

187 (95) 16

अतः भविष्य में विश्राम गृह में ठहरने वाले व्यक्तियों / कर्मचारियों से विश्राम गृह शुल्क की वसूली नियमानुसार की जावे! तथा उपरोक्त विवरण में दर्शाये गये व्यक्तियों से कम (1500-00 - 102-00) = 1398-00/- रुपये, वसूल की गई राशि की शीघ्र वसूली की जावे! तथा अनुपालना की जांच आगामी अंकेक्षण पर करवाई जावे!

(सा)
11
-2

-188-

पैरा संख्या: (40) लघु आपत्ति विवरणिका :-

यह आलेख से जारी नहीं की गई है।

(41) निष्कर्ष :-

पुराने अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अत्यधिक अनिर्णीत पड़े पैरों के शीघ्र निपटारे हेतु तथा वर्तमान अंकेक्षण के पैरा संख्या 7, 8, 9, 20, 21 तथा 35 में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं के दृष्टिगत इन पैरों के शीघ्र निपटारे हेतु आवास बोर्ड के प्राधिकारियों का ध्यान विशेष तौर से आकर्षित किया जाता है। लेखाओं के रख रखाव में और सुधार की आवश्यकता है।

उप नियन्त्रक (लेखा परीक्षा)
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2

(Vijay Walia)
Section officer

विषय — कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल.ए.)(2)-बी(15)14 119/83 खण्ड-3, दिनांक, शिमला-2,
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. कार्यकारी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला जिला कांगड़ा को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।
2. आयुक्त एवं सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
3. सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, निगम विहार, शिमला-2.
4. श्री होशियार सिंह, उप-नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा....
5. श्री विजय कुमार वालिया, अनुभाग अधिकारी, द्वारा....

15/11/2000

उप-नियन्त्रक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

....